



UPFD010030842013

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थितइफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 सत्र वाद सं० 539/2013

राज्यअभियोजनपक्ष

बनाम

- 1- दुष्यन्त उर्फ पिन्कू पुत्र देवेन्द्र कुमार यादव,
 - 2- देवेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व० अनवर सिंह,
 - 3- श्रीमती सुभाषा देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार यादव,
 - 4- कु० प्रियंका उर्फ भानु पुत्री देवेन्द्र कुमार यादव,
- समस्त निवासीगण- ग्राम सैदलपुर, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद।
अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०-83/2012,
 धारा- 498A, 304B, भा०दं०सं०,
 वैकल्पिक धारा 302, 306, 316, 201 भा० द०सं०
 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
 थाना- मक्खनपुर, जिला-फिरोजाबाद।

निर्णय

1. उपरोक्त सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा प्रेषित आरोप पत्र सं० 37/12, दिनांक 21-06-2012 प्रदर्शक-7 अन्तर्गत धारा 498A, 304B, 316, 201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आधार पर अभियुक्तगण दुष्यन्त उर्फ पिन्कू, देवेन्द्र कुमार यादव एवं श्रीमती सुभाषा देवी के विरुद्ध किया गया।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 36/12 अन्तर्गत धारा 498A, 364 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम वादी दिनेश कुमार यादव (Informant) द्वारा दी गयी तहरीर दिनांकित 14-05-2012 प्रदर्शक-1 के आधार पर अभियुक्तगण दुष्यन्त उर्फ पिंकू, देवेन्द्र सिंह, श्रीमती सुभाषा देवी, भानु, पप्पन, सोनी, दीपक उर्फ दीपू, अंकित यादव एवं विकास यादव के विरुद्ध दिनांक 14-05-2012 को समय 13.45 PM पर पंजीकृत की गयी। ग्राम जेवड़ा की दूरी थाने से लगभग 04 किलोमीटर दर्शायी गयी है। घटना दिनांक 13-05-2012 की अभिलिखित की गयी है। विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया एवं पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दिनेश कुमार यादव (Informant) ने लिखित तहरीर प्रदर्शक-1 दिनांकित 14-05-12 थानाध्यक्ष मक्खनपुर फिरोजाबाद को इस आशय का दिया कि-
"मेरी भतीजी श्रीमती वन्दना यादव पुत्र एहवेश कुमार, निवासी- जेवड़ा, थाना मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद की शादी दिनांक 20-04-2006 को दुष्यन्त उर्फ (पिंकू) पुत्र डा० देवेन्द्र सिंह यादव, निवासी गाँव सैदलपुर, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद के साथ समर्थ अनुसार उपहार स्वरूप दान-दहेज देकर लगभग दस लाख रुपये खर्च कर मेरे भाई एहवेश कुमार के द्वारा की थी। शादी के बाद से ही भतीजी का पति दुष्यन्त, ससुर देवेन्द्र सिंह, सास श्रीमती सुभाषा देवी, ननद भानु, पप्पन व सोनी पुत्री देवेन्द्र सिंह तथा देवर दीपक उर्फ दीपू, नन्दोई अंकित यादव व विकास यादव अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये मांग को लेकर अक्सर उत्पीड़न करते थे। कई बार मेरी भतीजी ने हम परिवार वालों को बताया तो हम परिवार वालों ने कई बार ससुरालीजनों को समझाया लेकिन वो नहीं माने, लगातार अतिरिक्त दहेज की माँग कर उत्पीड़न करते रहे। इसी दरम्यान भतीजी की ननद संध्या उर्फ सोनी की शादी के पूर्व हम परिजनों ने तीन लाख रुपये भी दिये थे। लेकिन उनका उत्पीड़न बरकरार बना रहा। अब से लगभग चार माह पूर्व से मेरी भतीजी वन्दना अपने मायके में ही रह रही थी। आज दिनांक 13-05-12 को भतीजी के पति दुष्यन्त उर्फ पिंकू हमारे गाँव जेवड़ा आया और कहा कि वन्दना का मुझे चेकअप कराना है जो कि 6 माह के गर्भ से है। मेरे साथ भेज दो। अब मैं अपनी भतीजी को उसके पति के साथ भेज दिया। समय करीब 07.30 बजे शाम मेरी भतीजी के पति का फोन आया कि मैंने वन्दना को मक्खनपुर तिराहे से गाँव जेवड़ा के लिये भिजवा दिया है। लेकिन भतीजी वन्दना अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। भतीजी के न लौटने पर हम

परिजनों ने भतीजी की ससुराल गाँव सैदलपुर जाकर तहकीकात कि तो भतीजी के ससुराल के यहाँ ताला लगा मिला कोई भी सदस्य नहीं मिला। मोबाइल फोन से जानकारी करनी चाही तो सभी के मोबाइल बन्द जा रहे है तथा भतीजी का भी फोन बन्द जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी भतीजी के ससुरालीजन भतीजी के साथ अप्रिय घटना घटित कर दी है या कही गायब कर दिया है। हमें काफी फिकर हो रही है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हमारी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 14-05-2012, तहरीर लेखक धनंजय यादव

4. विचारण के दौरान मेरे विद्वान पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-11-2015 के द्वारा अभियुक्त कु० प्रियंका उर्फ भानु को अन्तर्गत धारा 498A, 304B, 316, 201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया। अभियुक्तगण को आवश्यक नकले प्राप्त कराई गई।

5. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की सुनवाई के उपरान्त अभियुक्तगण दुष्यन्त उर्फ पिकू, देवेन्द्र कुमार यादव एवं श्रीमती सुभाषा देवी के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 498A, 304B, 302, 306, 316, 201 भा०दं०सं० दिनांक 11-11-2013 को विरचितत किया गया। अभियुक्ता कु० प्रियंका उर्फ भानु के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 498A, 304B, 302/34, 306, 316, 201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम दिनांक 11-04-2016 को विरचित किया गया। आरोप पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया व विचराण की माँग की।

6. आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 दिनेश कुमार यादव	वादी मुकदमा (Informant) मृतका के चाचा
2	PW-2 श्रीमती कौशल	साक्षी मृतका की चाची
3	PW- 3 एहवेश कुमार यादव	साक्षी/पिता मृतका
4	PW- 4 मनोज कुमार दीक्षित	चिक लेखक
5	PW- 5 डा० आर०ए० शर्मा	पोस्टमार्टमकर्ता

6	PW- 6 सुभाषचन्द्र शाक्य	विवेचक
7	PW- 7 मौ० आबिद खाँ	पंचनामाकर्ता
8	PW- 8 निरीक्षक रघुवन राम गौतम	विवेचक
9	DW- 1 चन्द्रशेखर	बचाव साक्षी
10	DW-2 लक्ष्मी देवी	बचाव साक्षी

अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	लिखित सूचना	प्रदर्श क- 2
3	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 3
4	नकल जी०डी०	प्रदर्श क- 4
5	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क- 5
6	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 6
7	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 7
8	पंचायतनामा	प्रदर्श क- 8
9	पत्र आर०आई०	प्रदर्श क- 9
10	पत्र सी०एम०ओ०	प्रदर्श क- 10
11	फोटोनाश	प्रदर्श क- 11
12	नमूना मोहर	प्रदर्श क- 12
13	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 13

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने साक्षियों द्वारा झूठा साक्ष्य देने का कथन किया गया। बचाव पक्ष की ओर मौखिक साक्षी के रूप में डी०डब्लू० 1 चन्द्रशेखर व डी०डब्लू० 2 लक्ष्मी को परीक्षित कराया गया है तथा अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

8. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

धारा 498A भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिसेस उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावित है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

धारा 304B भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

(i) यह कि किसी स्त्री की मृत्यु या तो किसी दाह द्वारा या तो शारीरिक क्षति द्वारा या तो सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारित हुई;

(ii) यह कि इसे विवाह से 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए;

(iii) यह कि यह भी दिखाया जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व उसके पति या पति के सम्बन्धी के द्वारा उसके साथ क्रूरता की गयी थी या उसे तंग किया गया; एवं

(iv) यह कि ऐसी क्रूरता या तंग किया जाना दहेज की माँग के सम्बन्ध में होना चाहिए।

धारा 302 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

(i) यह कि व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई,

(ii) यह कि ऐसा मृत्यु अभियुक्त द्वारा कारित की गई,

(iii) यह कि कार्य, जिससे मृत्यु कारित की गई थी-

(अ) मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था,

(ब) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कि अभियुक्त जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, या

(स) ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया कि वह शारीरिक क्षति, जिसे कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, या

(द) कार्य यदि किया गया हो, इतना आसन्न संकट होना चाहिए कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे

मृत्यु कारित होना संभाव्य हो और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

धारा 306 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कारित की गई,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने आत्महत्या किये जाने का दुष्प्रेरण किया।

धारा 316 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि स्त्री स्पंदनगर्भा थी;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने शिशु की मृत्यु कारित करने के लिए एक कार्य किया;
- (iii) यह कि परिस्थितियां, जिनके अधीन कार्य किया गया, ऐसी थी कि यदि मृत्यु कारित की गई होती तो अभियुक्त को आपराधिक मानव वध का दोषी बनाती एवं
- (iv) यह कि ऐसे कार्य से स्पंदनगर्भा स्त्री की मृत्यु कारित हुई।

धारा 201 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) एक अपराध का कारित किया जाना,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने,
- (क) किसी अपराध के कारित किये जाने के किसी साक्ष्य का विलोपन किया:या
- (ख) उस अपराध के संबंध में कोई सूचना दिया, जिसका मिथ्या होना वह तब जानता था या विश्वास करता था;
- (iii) यह कि अभियुक्त तब जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि अपराध कारित किया गया था;
- (iv) यह कि अभियुक्त ने साक्ष्य का विलोपन इस आशय से किया कि वह अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करें;
- (v) यह कि प्रश्न में अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष से अनधिक के कारवास से दण्डनीय था।

धारा 3 दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति - (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात, दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि [पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपये से या ऐसे

दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा,] दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, 5[पांच वर्ष] से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।]

(2) उपधारा (1) की कोई बात, -

(क) ऐसी भेंटों को, जो वधू को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होंगी :

परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं ;

(ख) ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती हैं या उनके संबंध में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेंटें, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं :

परन्तु यह और जहां ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती हैं वहां ऐसी भेंटें रुढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं हैं।]

धारा 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति - यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, वधू या वर के माता-पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुमाने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, छह मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।]

9. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी की भतीजी श्रीमती वन्दना यादव से अतिरिक्त दहेज के रूप में पाँच लाख रुपये की मांग की, न देने पर उससे क्रूरता का व्यवहार करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ? क्या अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर प्रसाद में जहर मिलाकर खिला दिया

जिससे उसकी मृत्यु हो गई ? क्या दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की भतीजी वन्दना यादव की प्रसाद में जहर खिलाकर साशय हत्या कारित कर दी ? क्या दहेज की मांग को लेकर वादी की भतीजी को उत्पीड़ित किया, जिससे क्षुब्ध होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली? क्या वादी की भतीजी वन्दना जो छह माह की गर्भवती थी को प्रसाद में जहर खिलादिया, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो गई ? वन्दना की हत्या करने के उपरान्त अभियुक्तगण ने हत्या का साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसकी लाश को छिपा दिया ? क्या श्रीमती वन्दना यादव के विवाह के पश्चात, विभिन्न समय व स्थान पर पाच लाख रूपये की मांग अतिरिक्त दहेज के रूप में की गयी ?

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सुविचारित ढंग से पंजीकृत करायी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा न तो कभी दहेज माँगा गया और ना ही कभी प्रताड़ित किया गया। मृतका की मृत्यु उसके मायके ग्राम जेवड़ा, थाना मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद में हुई है। मृतका को न तो जहर दिया गया और ना ही उसकी हत्या की गयी है। मृतका की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई है।

दूसरी ओर अभियोजन पक्ष को ओर से तर्क दिया गया कि मृतका की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में कारित हुई है। उसे जहर देकर मारा गया है। अग्रेतर यह भी तर्क दिया गया कि उसे आत्म हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया। साक्ष्यों को मिटाना एवं गर्भस्थ शिशु को मारने का भी जघन्य अपराध किया गया है।

10. प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा दिनेश कुमार यादव पी०डब्लू० 1 मृतका वन्दना यादव पुत्री एहवेश कुमार के सगे चाचा हैं। उल्लिखित तहरीर प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 के अनुसार श्रीमती वन्दना यादव पुत्री एहवेश कुमार, निवासी जेवड़ा, थाना मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद की शादी दिनांक 20-04-2006 को दुष्यन्त उर्फ पिकू पुत्र डा० देवेन्द्र यादव, निवासी गांव सैदलपुर, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद के साथ सम्पन्न हुई थी। सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज देकर लगभग दस लाख रूपये खर्च करके की गयी है। शादी के बाद से ही मृतका के पिता दुष्यन्त, ससुर देवेन्द्र कुमार, सास श्रीमती सुभाषा देवी, ननद भानु, पप्पन, सोनी पुत्रीगण देवेन्द्र, देवर दीपक उर्फ दीपू, नन्दोई अंकित यादव, विकास यादव अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रूपये की माँग को लेकर अक्सर उत्पीड़न करते थे। कई बार वादी मुकदमा की भतीजी ने परिवारवालों को बताया। परिवार वालों ने कई बार ससुरालीजन को समझाया लेकिन वह नहीं माने और लगातार अतिरिक्त

दहेज की माँग पर उत्पीड़न करते रहे। मृतका की ननद की शादी के पूर्व परिजनों ने तीन लाख रुपये भी दिये थे लेकिन उत्पीड़न बरकरार रहा। घटना के लगभग चार माह के पूर्व से वादी की भतीजी वन्दना अपने मायके में रह रही थी। दिनांक 13-05-12 को भतीजी के पति दुष्यन्त उर्फ पिन्कू ग्राम जेवड़ा आये और कहा कि वन्दना का चेकअप कराना है जो छह माह के गर्भ से थी। साथ भेजने के लिए कहा। अग्रेतर यह भी उल्लिखित किया गया है कि अपनी भतीजी को उसके पति के साथ भेज दिया। समय करीब 07.30 बजे शाम को मेरी भतीजी के पति का फोन आया कि मैं वन्दना को मक्खनपुर फिरोजाबाद के लिए भिजवा दिया है। लेकिन भतीजी अभी तक घर वापस नहीं लौटी। भतीजी के न लौटने पर हम परिजन भतीजी के गाँव (ससुराल) सैदलपुर जाकर तहकीकात की तो भतीजी के ससुराल में ताला लगा मिला, कोई भी सदस्य नहीं मिला। मोबाइल से जानकारी चाही तो सभी के मोबाइल फोन बंद जा रहे थे और भतीजी का भी फोन बंद जा रहा था। वादी को यह प्रतीत हुआ कि भतीजी के साथ ससुरालीजन ने कोई अप्रिय घटना कारित कर दी है और कहीं गायब कर दिया है। तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पति दुष्यन्त और उसेक परिवारीजन कुल तीन व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 14-05-2012 को समय 01.45 पर पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा दिनांक 14-05-2012 को नक्शा नजरी प्रदर्श क-13 तैयार किया गया, जिसमें "X" चिन्ह से वह स्थान दर्शाया गया जहाँ से अभियुक्त दुष्यन्त अपनी पत्नी मृतका वन्दना को ले गया। तीर के निशान से वह स्थान दर्शाया गया जिसे रास्ते से अभियुक्त दुष्यन्त वन्दना को ले गया। वादी मुकदमा दिनेश के मकान के आस-पास मकानों को भी दर्शाया गया है। पत्रावली पर नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 जिसे विवेचक/क्षेत्राधिकारी श्री सुभाषचन्द्र शाक्य द्वारा दिनांक 23-05-12 को तैयार किया गया। उक्त नक्शा नजरी में अक्षर "A" से वह स्थान दर्शाया गया जहाँ पर मृतका वन्दना की अभियुक्तगण द्वारा हत्या कर शव के सबूत को नष्ट किया गया और उक्त स्थान से मृतका का शव बरामद हुआ। अक्षर "A" के पश्चिम में नहर पट्टी (रास्ता आम) और उसेक पश्चिम में नहर को दर्शाया गया है। मृतका के शव का पंचनामा पत्रावली पर प्रदर्श क-8 के रूप में उपलब्ध है। उक्त पंचायतनामा दिनांक 14-05-12 को समय 01.10 बजे से लेकर 02.40 बजे तक सम्पादित किया गया। शव के मिलने की सूचना थान सिंह पुत्र होरीलाल बघेल ग्राम प्रधान दिखतौली थाना शिकोहाबाद द्वारा दी गयी। पंच के रूप में श्री मुकेश कुमार, दिनेश कुमार, मनीष यादव, सत्य प्रकाश एवं राम नरेश को नियुक्त किया गया। पंचनामा के अनुसार मृतका वन्दना का शव नहर

पटरी दिखतौली पुल के पश्चिम करीब 300 मीटर की दूरी पर खेत भानुराम के सामने पड़ा था। मृतका का शरीर बिल्कुल नीला सा पड़ गया था। नाक एलं मुँह से झाग आ रहा था। गले में धानी रंग के टुपट्टे से गर्दन में फसरी लगी पाई गई। गले में सामने फसरी का निशान सा बना था। पंचों के अनुसार मृतका के पेट में बच्चा भी लग रहा था। महिला के शरीर को उलट-पलट कर देखा तो गले में फसरी जैसा निशान था, नाक से खून, मुँह, हाथ, पैर में जगह-जगह नीले निशान थे। शरीर में कहीं जाहिरा चोट नहीं थी। जगह - जगह खुरसठनुमा चोटें प्रतीत हो रही थी। पंचों की राय में मृतका श्रीमती वन्दना की मृत्यु गले में फांसी लगने और जहर खाने से होना प्रतीत हो रही थी। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने की राय दी गयी। उक्त पंचों की राय से पंचनामा करने वाले निरीक्षक भी सहमत थे। मृतका के शरीर का पोस्टमार्टम कराने के लिए शरीर को कान्सटेबल पुलिस 1497 महिपाल एवं होमगार्ड थाना शिकोहाबाद द्वारा ले जाया गया। मृतका वन्दना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सं० 304/12 है। मृतका के शव विच्छेदन के समय शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई-

चोट नं० 1- कन्टीयूजन 6cmX2cm गर्दन के बांयी तरफ मौजूद थी।

चोट नं० 2- कन्टीयूजन 4 cm X 2 cm थोड़ी के नीचे मौजूद थी।

मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इस कारण विसरा सुरक्षित रखा गया। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा बारम्बार पत्राचार उपरान्त बहस के स्तर पर विसरा रिपोर्ट उपलब्ध करायी गई। पत्रावली पर प्रदर्श क-2 वादी दिनेश कुमार द्वार थानाध्यक्ष मक्खनपुर को प्रेषित प्रार्थना पत्र है, उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। प्रार्थना पत्र की प्रथम पंक्ति में शब्द आज पर ओवरराइटिंग की गयी है। उक्त पत्र इस आशय का दिया गया कि महोदय "निवेदन है कि आज दिनांक 14-05-12 को मैंने अपनी भतीजी श्रीमती वन्दना पुत्री एहवेश कुमार के सम्बन्ध में थाने पर मुकदमा लिखाया। भतीजी की लाश दिखतौली नहर के किनारे पड़ी मिली। जब हमको टेलीफोन के द्वारा सूचना मिली तो हम तथा गाँव के लोग गये थे। हम लोगों ने अपनी भतीजी के शव को पहचान लिया तथा शिकोहाबाद थाने के दरोगा जी हमारे सामने पंचनामा भरा तथा हम लोगों को पंच बनाया। अतः आपसे से निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।"

उक्त प्रार्थना पत्र में वादी दिनेश कुमार पी०डब्लू० 1 ने मृतका के शव को नहर के किनारे पड़ा होने के बाबत लिखा तथा यह भी उल्लिखित किया कि उसे टेलीफोन से सूचना यह प्राप्त हुई। यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मृतका का शव पाये जाने के सम्बन्ध में किस दूरभाष से सूचना दी गयी

और किसके द्वारा दी गयी। प्रार्थना पत्र पर किसी तिथि का अंकन न किया जाना संदेह को जन्म देता है। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र कागज सं० 8 अ मनीष यादव द्वारा कथित रूप से जिलाधिकारी फिरोजाबाद को प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 14-05-12 अंकित है। उक्त प्रार्थना पत्र में मनीष यादव ने मृतका का भाई होना अंकित किया और पोस्टमार्टम कराये जाने की याचना की थी। जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराये जाने के बाबत निर्देशित किया गया। इसी क्रम में **CMS द्वारा डा० आर०ए० शर्मा एवं EMO की टीम गठित** कर शव का पोस्टमार्टम कराये जाने के बाबत निर्देशित किया गया। प्रदर्शक-9 रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक है। उक्त रिपोर्ट उपनिरीक्षक थाना शिकोहाबाद द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना शिकोहाबाद को दी गयी। जिसमें मु०अ०सं० और सुसंगत धाराओं का अंकन किया गया। इसी प्रकार उपनिरीक्षक थाना शिकोहाबाद द्वारा चिठ्ठी CMO को प्रेषित किया गया। उक्त चिठ्ठी में मृतका के शव का पंचनामा के कागजात के साथ कपड़ों में सील कर का० 1497 महीपाल एवं होमगार्ड चुन्नीलाल के साथ भेजकर शव का पोस्टमार्टम कराये जाने की याचना की गयी है। प्रदर्शक-11 मृतका का फोटोनाश है, जिसमें मृतका के पेट व सीने पर तथा हाथों में चोटों के निशान का अंकन किया गया तथा गले में फसरी लगाये जाने का भी अंकन किया गया है। पत्रावली पर कागज सं० 8 अ/7 है जो प्रार्थना पत्र दिनांक 14-05-12 की कार्बन प्रति है। उक्त प्रार्थना पत्र थान सिंह, निवासी ग्राम दिखतौली, थाना द्वारा थानाध्यक्ष को दिया गया। जिसमें थान सिंह को ग्राम प्रधान होना अंकित है और यह भी अंकित है कि दिनांक 14-05-12 को गांव वालों के द्वारा बताया गया कि गांव के सामने नहर की पटरी पर एक अज्ञात महिला की लाश पड़ी है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्तगण मृतका वन्दना की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दहेज के कारण करते थे और अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रूपये की माँग करते थे। अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रूपये की माँग पूरी न होने पर प्रसाद में जहर मिलाकर खिला दिया जिससे विवाह के सात वर्ष के भीतर उसकी अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी। विकल्प में यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने मृतका वन्दना को प्रसाद में जहर मिलाकर खिलाया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। अग्रेतर यह भी आरोप लगाया गया दहेज की माँग को लेकर अभियुक्तगण ने मृतका का उत्पीड़न करते थे, जिससे क्षुब्ध होकर मृतका ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अभियुक्तगण पर यह भी आरोप लगाया गया

है कि गर्भस्थ शिशु की उसी अनुक्रम में मृत्यु कारित की गयी तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से लाश को छिपा दिया गया।

आरोपों को सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्ष्यों का परिशीलन, मूल्यांकन किया जाना आवश्यक एवं समिचीन प्रतीत होता है।

पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव मृतका वन्दना के सगे चाचा है।
पी०डब्लू० 1 ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह कहा कि "मैंने अपनी भतीजी श्रीमती वन्दना यादव की शादी दिनांक 20-04-2006 को दुष्यन्त उर्फ पिकू निवासी सैदलपुर, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद के साथ की थी। मेरे भाई ने मेरी भतीजी की शादी में लगभग दस लाख रुपये खर्च किया था। दिये गये दान-दहेज से मेरी भतीजी के ससुरालीजन पति दुष्यन्त, ससुर देवेन्द्र, सास सुभाषा देवी, ननद भानु, पप्पन, सोनी, देवर दीपक उर्फ दीपू, नन्दोई अंकित व विकास अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की माँग करते थे तथा मेरी भतीजी का उत्पीड़न करते थे। अतिरिक्त दहेज की माँग व उत्पीड़न करने वाली बात मेरे भाई एहवेश कुमार व मुझे व अन्य परिवारीजन को बताई थी। मैं, मेरा भाई व अन्य परिवारीजन ग्राम सैदलपुर में दुष्यन्त तथा दुष्यन्त के माता-पिता, भाईयों, बहनों व बहनोईयों को समझाया फिर भी वह लोग नहीं माने, लगातार अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की माँग तथा मेरी भतीजी का उत्पीड़न करते रहे। अग्रेतर कहा कि इसी दरमियान मेरी भतीजी वन्दना की ननद संध्या उर्फ सोनी की शादी थी। शादी से पूर्व मैंने व मेरे भाई ने तीन लाख रुपये नगद दिये थे। तीन लाख रुपये देने के बावजूद भी मेरी भतीजी के पति और उसके परिवारीजन ने उत्पीड़न लगातार जारी रहा। इस घटना से लगभग चार माह पहले मेरी भतीजी मायके में मेरे यहाँ रही थी। मेरी भतीजी का पति दिनांक 13-05-12 को मेरे गांव जेवड़ा में आया और कहा मेरी पत्नी वन्दना छह माह के गर्भ से है, मुझे उसका चेकअप कराना है, वन्दना को मेरे साथ भेज दे। फिर मैंने अपनी भतीजी को उसके पति दुष्यन्त के साथ भेज दिया। उसी दिन शाम को 07.30 बजे दुष्यन्त का फोन आया कि मैंने वन्दना को जेवड़ा तिराहा कस्बा मक्खनपुर ग्राम जेवड़ा के लिए टैम्पू से भेज दिया है। वन्दना मेरे घर नहीं पहुँची तो मैंने व मेरे परिवारीजन को कस्बा मक्खनपुर देखा उसके बाद ग्राम सैदलपुर दुष्यन्त के गांव जाकर देखा तो ग्राम सैदलपुर में मेरी भतीजी व उसके ससुरालीजन कोई घर पर नहीं मिला। मेरी भतीजी के ससुरालीजन के घर पर ताला लगा था। फिर मैंने देवेन्द्र, दुष्यन्त तथा वन्दना के मोबाइल पर फोन किया था, सभी के मोबाइल बंद जा रहे थे। सारी रात खोजबीन की उसके

बात मैंने दिनांक 14-05-12 को मैंने धनंजय से रिपोर्ट लिखवाकर थाना मक्खनपुर में दी। रिपोर्ट धनंजय ने मेरे बोलने पर लिखी थी। जो मैंने बोला था वही लिखा था। फिर मैंने उस पर हस्ताक्षर किये थे। पत्रावली पर कागज सं० 3 अ/2 को गवाह ने देखकर कहा कि यही रिपोर्ट मैंने धनंजय से लिखवाकर थाना मक्खनपुर में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। अग्रेतर कहा कि मैंने जिस दिन मुकदमा लिखाया था। उसी दिनांक 14-05-12 को मेरी भतीजी वन्दना की लाश नहर किनारे ग्राम दिखतौली के पास पटरियों में झाड़ियों में मिली। मेरी भतीजी की लाश मिलने की सूचना मुझे फोन द्वारा मिली थी। उस सूचना पर मैं अपने गांव के भी लोगों के साथ मौके पर गया था। मैंने अपनी भतीजी के शव को पहचान लिया था। मेरी भतीजी के शव का पंचनामा शिकोहाबाद पुलिस ने भरा था। मैं भी पंचनामा का गवाह था। मैंने पंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे। पत्रावली पर कागज सं० 6 अ/1 ता 6 अ/3 पंचनामा को देखकर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया। अग्रेतर यह भी कथन किया कि मैंने उस दिन अपनी भतीजी की लाश मिलने की सूचना थाना मक्खनपुर में दी थी। पत्रावली में कागज सं० 7 अ/2 जिसे देखकर गवाह ने कहा यही कागज मैंने स्वयं लिखकर दिया, जिसपर प्रदर्शक-2 डाला गया। प्रति-परीक्षा में कहा कि देवेन्द्र सिंह की उम्र करीब 55 वर्ष है। इनके दो लड़के दुष्यन्त व दीपक है। दीपक घटना वाले दिन पढता था। देवेन्द्र सिंह के तीन लड़कियां हैं। सबसे बड़ी लड़की साधना उर्फ पप्पन है। साधना की शादी मृतका की शादी से पहले हो गयी थी। कब हुई नहीं मालूम। उसके पति से एक-दो बार मुलाकात हुई। कहां का है नहीं मालूम, उसका नाम विकास है। सोनी उर्फ साधना की शादी से 15-20 दिन पूर्व और फिर सोनी की शादी के समय विकास से मुलाकात हुई थी। सोनी उर्फ साधना की शादी जनवरी 2012 में हुई थी।-----शादी के बाद पप्पन व सोनी अपनी ससुराल रहने लगे और कभी-कभी अपने मायके घूमने आती थी। सम्बन्धों के कारण सोनी की शादी में शामिल हुए थे। मेरे अलावा मेरे भाई साहब व सभी परिवारीजन सोनी की शादी में शामिल हुई थे। हमे इज्जत से बुलाया था इसलिए शादी में शामिल हुए थे।-----

वन्दना के वैवाहिक जीवन में उसके यहाँ दस बार गया। आखिरी बार मैं सोनी की शादी में गया था। सोनी की के समय मेरे दामाद दुष्यन्त एक स्कूल चलाते थे। मुझे नहीं बता उस स्कूल की आमदनी से दुष्यन्त ने अपनी बहन की शादी में खर्च किया हो। दुष्यन्त ने बिना अपनी पत्नी के पूछे अपनी बहन की शादी में खर्च किया था। वन्दना को सोनी की शादी के 15 दिन बाद पहने हुए

कपड़ों में घर से निकाल दिया था। मैंने अपनी रिपोर्ट में यह लिखवाया था कि सोनी की शादी के बाद दुष्यन्त ने वन्दना को निकाल दिया था। यह सही है कि तहरीर में यह बात नहीं लिखी है। अग्रेतर कहा कि सी०ओ० साहब ने मेरा बयान दो बार लिया था। पहला बयान सी०ओ० साहब ने 14-05-12 को लिया था। दूसरा बयान उसकेदो दिन बाद लिया था। इसके अलावा सी०ओ० ने कोई बयान नहीं लिया था। दोनों बयान पर सी०ओ० साहब ने दस्तखत कराये थे। यदि सी०ओ० साहब ने दिनांक 14-05-12 तथा उसके दो दिन बाद मेरे बयान का अंकन केस डायरी में नहीं किया हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मेरे बयान में यदि सी०ओ० साहब ने यह नहीं लिखा कि चार माह पूर्व या सोनी की शादी के बाद मेरी भतीजी को दुष्यन्त ने निकाला था तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। अग्रेतर कहा कि मेरा व एहवेश कुमार का मकान एक है। एहवेश घटना वाले दिन बम्बई सर्विस में थे। मैं इण्टर तक पढा हूँ। मुझे एहवेश कुमार के लड़कों की शादी की तिथि याद नहीं है और न ही किसी बच्चे की जन्मतिथि याद है। शादी में लड़की वालों की तरफ से पीली चिट्ठी गई थी। मेरे यहां से वन्दना की तरफ से पीली चिट्ठी गयी थी। पण्डित उमाशंकर शर्मा ग्राम उंदनी से बनवाई थी। लड़के वालों के यहां से बारात स्वीकृत थी। चिट्ठी आती है। ऐसा ही प्रचलन है। लड़की वालों की तरफ से भेजी गयी चिट्ठी स्वीकृती में शादी का अंकन होता है। लड़की वालों की चिट्ठी में यह नहीं आया। -----मैंने भतीजी की शादी में हलवाई व टेन्ट वाला किया था। बैंड लड़के वालों ने किया था। मैं दौरान विवेचना टेन्ट व हलवाई के भुगतान की रसीद विवेचक नहीं दिखा सका था। बारात साई मन्दिर पर रूकी थी।----- मैंने वन्दना की शादी में देने वाले बर्तन, फर्नीचर, कपड़े, फ्रिज आदि खरीदा था। यह सब सामान मेरे व्यवहार में आया था। दहेज में देने के लिए सामान खरीदा था। उसकी रसीद नहीं है। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि जिस दिन भतीजी घर से गयी उस दिन मैं घर पर नहीं था। दुष्यन्त करीब डेढ बजे मेरे घर पर आया था। गर्मी के दिन थे, धूप तेज पड़ रही थी। मैंने अपने दामाद दुष्यन्त से नहीं कहा था कि थोड़ी देर आराम कर लो और ना ही दुष्यन्त को खाना खिलाया था। दुष्यन्त के आने के बाद मेरी भतीजी वन्दना चलने के लिए तैयार हो गयी थी। वन्दना अपने साथ हैण्डबैग लेकर गई थी। करीब सवा दो बजे ठीक दोपहर में अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से चली गयी। अग्रेतर कहा कि दुष्यन्त को मैंने समझाया था कि दोपहर में मत जाये लेकिन वह जिद्दी प्रवृत्ति का है, इसलिए वह माना नहीं। जितनी देर दुष्यन्त मेरे यहां रहा उतनी देर मोटरसाइकिल चबूतरे पर खड़ी रही। उस मोटरसाइकिल का

नम्बर मैंने नहीं देखा था। वह मोटरसाइकिल काली पल्सर थी। उस समय मृतका की माँ घर पर नहीं थी। घर पर मृतका की चाची कौशल व दादी थी। मुझे यह ध्यान नहीं है कि जिस दिन मृतका मेरे यहाँ से गयी उस दिन शनिवार था या नहीं। अग्रेतर कहा कि मेरे गाँव की आबादी 5-6 हजार है। मेरे पड़ोस में पप्पू उर्फ ओमप्रकाश, मोहनी, ताले सिंह आदि के मकान हैं। इन पड़ोसियों ने भी भतीजी को पति के साथ जाते देखा था। इन सभी पड़ोसियों के बयान भी सी०ओ० साहब ने करवाये थे। उन्होंने क्यों नहीं लिखा इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मेरे गाँव से मुल्जिमान का गाँव सैदलपुर 35-40 किलोमीटर दूर है। मेरे गाँव से शिकोहाबाद 15-16 किलोमीटर दूर होगा। मेरे गाँव से बालाजी मन्दिर 11-12 किलोमीटर होगा। मैंने गाँव में अपनी भतीजी का इंतजार 07.30 बजे तक किया था। उसके बाद उसकी तलाश की थी और तलाश करते-करते मक्खनपुर आये थे। बच्चे की मरने की सूचना पर मैं वन्दना की ससुराल गया था तब वह घर पर थी। पहला बच्चा मर गया था, वह शादी के काफी साल बाद हुआ था। मुझे मालूम नहीं है कि विलम्ब से बच्चा होने के कारण उसका इलाज ससुराल वालों ने कराया था या नहीं। मुझे भतीजी से बहुत लगाव था।----- वन्दना के दोबारा गर्भवती होने पर उसके ससुराल वालों ने दिखाया दोबारा मैंने नहीं दिखाया था। मुझे यह जानकारी नहीं है पहला बच्चा मर जाये या मृत पैदा हो तो स्थान बदलने की प्रथा है। जब चार महीने घटना से पूर्व मृतका गर्भवती अवस्था में मेरे यहाँ रही तो मैंने उसे किसी डाक्टर को नहीं दिखाया था। जब दुष्यन्त घटना वाले दिन मृतका को ले गया तब मैंने उससे यह नहीं पूछा था कि किस डाक्टर को दिखाना है। अग्रेतर कहा कि मैंने वन्दना के वैवाहिक जीवन के दौरान पंचायत की थी। पंचायत दो-तीन बार हुई थी। 1-2 बार वन्दना की ससुराल में भी हुई थी। इन तीन पंचायतों में पहली पंचायत मृतका की शादी से एक साल बाद मेरे यहाँ हुई थी। इस पंचायत में मेरा पूरा परिवार मय लड़की के पिता के मौजूद था। शादी की मध्यस्थता पण्डित उमाशंकर शर्मा ने की थी, जिनकी मृत्यु हो गयी है। आज से एक साल पहले उनकी मृत्यु हो गयी है। उस पंचायत में लड़के वालों की तरफ से देवेन्द्र, विकास, पप्पन, सोनी, संध्या व उसका परिवार था। मैंने अपनी तरफ से किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया था। मेरी तरफ से डा० अजमेर शामिल थे।----- पंचायत मुँह जबानी हुई थी। कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी। किसी पंचायत में कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी। तीसरी पंचायत शादी के दो साल बाद हुई थी। सभी पंचायतों में शामिल होने वाले वही लोग थे। आखिरी पंचायत के बाद मृतका मेरे यहाँ 4-5 बार आई गई होगी। विदा कराने कोई

नहीं आता था। मैं ही छोड़ने जाता था और मैं ही लिवाने जाता था। उसके घरवाले पसन्द नहीं करते थे। लड़की का घर बर्बाद नहीं हो जाए इसलिए पंचायत के बाद कोई रिपोर्ट थाने में नहीं कराई थी। मेरे पास ऐसी कोई रसीद नहीं जो शादी जो शादी 2006 की सिद्ध कर सके। यह कहना गलत है कि वन्दना की शादी दुष्यन्त के साथ 20-05-2005 को हुई हो। यह कहना भी गलत है कि गलत तरीके से दिनांक 20-04-2006 की शादी होना दर्शाई गई है। अग्रेतर कहा कि शादी का कार्ड मैंने सी०ओ० साहब को दिया था। यह शादी का कार्ड मैंने रिपोर्ट वाले दिन दिया था। जब रिपोर्ट का कागज थाने पर दिया था तभी शादी का कार्ड थाने पर दिया था। लेकिन शादी के कार्ड को देने वाली बात अपनी तहरीर में नहीं लिखाई थी। यह शादी का कार्ड मैंने छपवाया था। यह कार्ड मैंने पालीवाल प्रेस पर छपवाया था। उसकी भी रसीद मेरे पास नहीं है। शादी का कार्ड जो मैंने दिया था। उसकी लिखा-पट्टी पुलिस ने किया था या नहीं उसकी मुझे जानकारी नहीं है। शादी का कार्ड मैं अपने साथ लेकर गया था। घर पर तब सारे कार्ड मिले थे, उन्हीं में से एक कार्ड लिया था। यह कहना गलत है कि शादी का कार्ड रिपोर्ट के समय मैंने सी०ओ० को न दिया हो। मेरी भतीजी मरने से करीब दो साल पहले पहली बार गर्भवती हुई थी। बच्चा पैदा होने के बाद मर गया था। वह डिलीवरी वन्दना की ससुराल वालों ने कराई थी। बालाजी मन्दिर गये थे। मक्खनपुर के बाद सैदलपुर गये थे।----- दिनांक 13/14-05-12 को रात दो बजे तक तलाश किया था। उसके पहले मैंने थाना मक्खनपुर में सूचना दी तो उन्होंने कहा पहले उसको ढूंढो। दिनांक 13-05-12 को रात के 8-9 बजे सूचना दी थी। उस दिन सूचना जुबानी दी थी, यह सूचना थाना कार्यालय में दी थी। अग्रेतर कहा कि दिनांक 14-05-12 को लगभग दो बजे दिन में पता चला था कि मेरी भतीजी की लाश नहर पर मिली है। यह सूचना मुझे फोन पर मिली थी। फोन करने वाले का नाम याद नहीं है। जब दिनांक 14-05-12 को मक्खनपुर क्षेत्र में खोजबीन कर रहे थे तो फोन की सूचना पर नहर पर पहुंचे थे। जब हम पहुंचे तो ग्राम दिखतौली के पास नहर के किनारे पटरी पर हमारी लड़की की लाश पड़ी थी। पुलिस नहर पर मौजूद थी। गवाहों को पंचायतनामा कागज सं० 6 अ/1 लगायत 6 अ/3 दिखाया तो गवाह ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं यह पंचायतनामा लिखे जाने तक लाश के पास मौजूद था। यह कागज पंचायतनामा 14-05-12 को दोपहर 01.10 मिनट पर शुरू होकर दोपहर 02.20 PM तक लिखा गया था। उस समय तक मैं लाश के पास बालाजी मन्दिर के पास नहर की पटरी पर था। लाश सील करके मेरे सामने मेरे सामने पोस्टमार्टम के लिये भेजी गई

थी और मैं भी लाश के साथ फिरोजाबाद आया था। जब लाश सील हो रही थी तब सी०ओ० साहब भी आ गये थे। उन्होंने लाश की पहचान मुझसे कराई थी। यह वहीं सी०ओ० साहब थे जिन्होंने मेरे बयान लिये थे। मुकदमा लाश सील होने से आधा घण्टा पहले दर्ज हो गया था। मैंने 01.10 PM से आधा घण्टा पूर्व थाना मक्खनपुर पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी और रिपोर्ट की नकल भी ले ली थी। मैं नहीं बता सकता कि मुकदमा में थाना मक्खनपुर में थाना मक्खनपुर में मुकदमा दर्ज करने का समय 01.45 क्यों लिखा गया है। अग्रेतर कहा कि मैंने पंचायत भरने वाले दरोगा जी को मक्खनपुर पर दर्ज करायी रिपोर्ट की प्रति पंचायतनामा भरते समय दी थी। जो लाश के साथ भेजी गयी थी। यदि मक्खनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट में 12.30 बजे दर्ज न कराई होती तो मैं उसकी प्रति पंचायत भरने वाले अधिकारी को नहीं दे सकता था और न वह लाश के साथ जाती। यह कहना गलत है कि न तो 12.30 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई और न ही उसकी प्रति पंचायतनामा भरने वाले दरोगा जी को दी हो। यह भी कहना गलत है कि पंचायतनामा के बाद किसी समय दर्ज कराई हो।----- यह ध्यान नहीं है कि मक्खनपुर थाने में लाश कितने बजे गई। लाश मक्खनपुर थाने नहीं गयी थी, सीधे फिरोजाबाद ले गये थे। सी०ओ० साहब साथ नहीं गये थे। मक्खनपुर थाने के एस०ओ० साहब लाश के साथ गये थे।-----प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2 दोनों पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श क-2 पर मेरा नाम लिखा है। प्रदर्श क-2 मेरे हाथ की लिखी है। यह रिपोर्ट थाने में कब दी थी मुझे ध्यान नहीं है। प्रदर्श क-2 मैंने थाने में मुंशी को दी थी।----- मुझे ध्यान नहीं है कि मेरी भतीजी का पर्स लाश के पास मिला था या नहीं। मेरी भतीजी के पर्स में कितने रुपये लेकर गयी थी मुझे नहीं मालूम। भतीजी के मरने के बाद उसकी ससुराल वालों ने शादी में खर्च किया था। कोई रूपया वापस नहीं किया है।----- डा० अजमेर सिंह व प्रमोद मेरे साथ 13-05-12 को वन्दना को तलाशने गये थे और उन्होंने तभी मुझे व बताया था कि उन्होंने भी पति के साथ बन्दना को जाते देखा है। लेकिन यह बात मेरी अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखवाई थी। दिनांक 22-10-2016 को अंकित बयान में साक्षी पी०डब्लू० 1 ने कहा कि "भानू उर्फ प्रियंका, वन्दना की ननद है। भानु से मेरे मुलाकात 5-6 बार हुई होगी। भानु से मेरी बातचीत होती थी। मैं भानु से जब मिलता था तब पूछता था कि बेटा तुम्हारा क्या हाल है। क्योंकि वह मेरी बेटा के बराबर थी। सोनी की शादी के समय भानु की उम्र 18,19 वर्ष रही होगी। वन्दना की शादी के समय 10,11 वर्ष की रही होगी। वन्दना की मृत्यु के समय पढ रही थी। बी०ए० या बी०एस०सी० कर रही

थी। घटना वाले दिन वह घर पर ही थी। घटना के दूसरे दिन वह मुझे घर पर गांव सैदलपुर में मिली थी 14-05-12 को वह मुझे घर पर मिली थी। 14-05-12 को सुबह 10.00 बजे करीब मिली थी। मेरे साथ मुकेश, विपिन, मुनीश, अजमेर सिंह और अन्य लोग थे और उस समय मेरे साथ पुलिस भी थी। यह पुलिस मेरे साथ थाना मक्खनपुर की थी। उस समय 4-5 सिपाही और एक दरोगा मेरे साथ थे। घर पर भानु के अलावा अन्य कोई नहीं था। भानु अपनी चाची के घर में थी। उसके घर में ताला लगा हुआ था। मैंने भानु को बुलाकर पूछा था। मैंने पुलिस से हटकर बात की थी। पुलिस के सामने बात नहीं की थी। मैं उससे यही पूछ रहा था कि तेरे माता पिता कहां हैं। लेकिन उससे कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने उस समय तक कोई रिपोर्ट नहीं की थी। इसलिए उस समय भानु की गिरफ्तारी नहीं करायी थी। तब तक यह भी तय नहीं हुआ था कि किसे किसे मुल्जिम बनाऊंगा। यह बात बाद में तय हुई थी कि सभी को मुल्जिम बनाना है। समय 01.45 बजे आस-पास तय हुआ कि सभी ससुरालीजनों को मुल्जिम बनाना है। रास्ते में बातचीत करते मैं हम लोगों ने तय किया कि पूरे परिवार को मुल्जिम बनाना है। विपिन, मुकेश, डा० अजमेरे सिंह और अन्य लोगों थे उनसे सलाह मशविरा करके तय किया कि पूरे परिवार को मुल्जिम बनाना है। फिर 01.45 बजे मैंने थाने में आकर रिपोर्ट लिखा दी थी। 01.45 बजे रिपोर्ट लिखाई उस उस समय तक मुझे लाश मिलने की जानकारी नहीं थी। समय 01.45 बजे ही मैं थाने में ही फोन पर लाश की सूचना मिलने तुरन्त लाश वाले स्थान को रिपोर्ट लिखाकर चल दिया। मैं दो- सवा दो बजे लाश वाले स्थान पर पहुंच गया था। उस समय तक लाश खुली हुई थी। लाश सील होने में 10-15 मिनट लगे होंगे। यह पक्का है मैं 01.10 पर लाश के पास नहीं था। यह भी पक्का है कि मैं लाश के पास 02.00-02.15 बजे पहुंचा था। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर हुए थे। मुझे नहीं पता कि पंचायतनामा पर 01.10 मिनट दोपहर का कैसे डाला है। मैंने गलत समय डालने का विरोध पुलिस से किया था, लेकिन वह नहीं माने। राय पंचान लिखी गयी थी। मैंने राय पंचान में लिखा दिया था कि दहेज की मांग के कारण दुष्यन्त ने ले जाकर हत्या की। मैंने दुष्यन्त के अलावा अन्य सभी लोगों के नाम बोले थे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि किस किस का नाम लिखा था या नहीं। यदि राय पंचान में न किसी मुल्जिम का नाम लिखा हो और ना ही दहेज हत्या के बारे में लिखा हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। अग्रेतर कहा कि यह बात सही है कि घटना वाले दिन मैं भानु को वन्दना के साथ नहीं देखा था। मैंने घटना वाले दिन भानु या अन्य किसी मुल्जिम को नहीं देखा था।

पी०डब्लू० 2 के रूप अभियोजन पक्ष की ओर से श्रीमती कौशल पत्नी दिनेश को परीक्षित किया गया। पी०डब्लू० ने अपने बयान में शपथपूर्वक कहा कि "मृतका श्रीमती वन्दना मेरे जेठ एहवेश की पुत्री थी। जिसकी शादी घटना से करीब छह वर्ष पहले दुष्यन्त उर्फ पिन्कू के साथ हुई थी। शादी में मेरे जेठ ने दान दहेज में सभी सामान दिया था। शादी में दिये गये दान-दहेज से वन्दना के ससुरालीजन पति दुष्यन्त उर्फ पिन्कू, ससुर देवेन्द्र कुमार, सास सुभाषा देवी, ननद पप्पन, देवर दीपू तथा ननद सोनी व भानू देवी व ननदोई खुश नहीं है और अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की मांग ये लोग करते थे और ये लोग अपनी इस मांग को पूरी करने के लिये वन्दना के साथ मारपीट व उत्पीड़न करते थे। इस सम्बन्ध में वन्दना ने मुझसे कई बार शिकयात की थी। इन लोगों को काफी समझाया था। लेकिन ये लोग नहीं माने। घटना के समय वन्दना करीब छह माह के गर्भ से थी। उसके ससुरालीजन उपरोक्त लोगों के उत्पीड़न के कारण ही वन्दना करीब चार माह से अपने मायके में हमारे यहां रह रही थी। जेठ का महीना था 13 तारीख थी। आज से करीब साढ़े सात साल पहले की घटना है। वन्दना का पति दुष्यन्त उर्फ पिन्कू हमारे यहां आया था। दोपहर के समय आया था कि वन्दना को मेरे साथ भेज दो इसका चेकअप कराना है। उस समय उसकी मंशा नहीं समझ पाये थे और हमने वन्दना को उसके पति दुष्यन्त उर्फ पिन्कू के साथ भेज दिया था। उसके बाद उसी दिन शाम को करीब 07.30 बजे दुष्यन्त उर्फ पिन्कू का फोन आया कि वन्दना को आपके यहां के लिये टैम्पू में बिठा दिया है। तो हम लोग उस दिन आधी रात तक वन्दना के आने का इंतजार करते रहे थे। लेकिन वन्दना हमारे यहां नहीं पहुंची तो हम लोगों को वन्दना के पति व ससुरालीजन पर शक हुआ और वन्दना की खोजबीन की और वन्दना की ससुराल गये तो वहां पर भी वन्दना नहीं थी। वल्कि वन्दना के ससुरालीजन घर का ताला लगाकर भाग चुके थे। दूसरे दिन वन्दना की लाश दिखतौली के पास बालाजी मन्दिर के पीछे की तरफ नहर के किनारे पड़ी मिली। उसकी सूचना शिकोहाबाद पुलिस ने दी थी। तो मेरे परिवारीजन लाश देखने पहुंचे थेतो वह लाश मेरे जेठ की पुत्री वन्दना की थी। वन्दना की हत्या उसके पति दुष्यन्त उर्फ पिन्कू ने उक्त अन्य ससुरालीजन के साजिश से व सहयोग से अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण कर दी है। वन्दना के गर्भ का बच्चा भी मर गया था। प्रति-परीक्षा में कहा कि मृतका की शादी गांव में हुई थी। शादी 2005 में हुई थी। शादी राजी-खुशी हुई थी। शादी में मैं भी शामिल हुई थी। शादी के बाद मेरी भतीजी वन्दना का आना जाना मायके में रहा था। उसे मायके से कोई बुलाने जाता था तब वह ससुराल

से आती थी। 15-20 दिन बाद उसका पति बुला ले जाता है। मृतका के पिता बाम्बे में रहते थे। गाँव में मैं रहती थी। मृतका की मृत्यु से दो साल पहले वन्दना को बच्चा हुआ था। लेकिन वह बच्चा मरा हुआ था। फिर कहा कि बच्चा मरवा दिया था। मुझे नहीं पता कि यह बच्चा किस अस्पताल में हुआ था। बच्चा मरवाने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। यह बात आज से पहले किसी को नहीं बताई। जब वन्दना को दोबारा बच्चा होने को था तब मैंने नहीं कहा कि तुम बच्चा गिरवा देते हो, अब इसका बच्चा अपने यहां जनेंगे। **कभी कोई पंचायत नहीं पड़ी थी। कभी न कोई रिपोर्ट लिखाई थी। गर्भवती होने के बाद मेरी भतीजी वन्दना मेरे घर आ गयी थी। उसने बताया था कि मैं गर्भवती हूँ और यह बताया कि यह बच्चा मैं मायके में ही करना चाहती हूँ। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।** हमने उसे किसी दाई को नहीं दिखाया था। उसका पति ही चेकअप कराया था। फिर कहा कि उस दिन पति घर से ले गया था। उस दिन उसका पति अकेला आया था। मैंने दामाद को रोटी वगैरा नहीं खिलाया था। मेरा और मेरे जेठ का मकान एक ही है। जब दुष्यन्त मेरे घर पर आया मेरे पति घर पर नहीं थे, पता नहीं कहां पर थे। दुष्यन्त उस समय दो घण्टे मेरे घर पर रुका था। दुष्यन्त वन्दना को बुलाने मेरे घर 12-01 बजे दोपहर में आया था। वन्दना खाली हाथ नहीं गयी थी लेकिन दो अंगूठी व जंजीर पहने थी। मेरे अलावा मेरी सास घर पर मौजूद थी। उस दिन दुष्यन्त को मैंने व मेरी सास ने देखा था। शाम को पाँच बजे मेरी पति से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि 12-01 बजे दुष्यन्त आया था और दो ढाई घण्टे रुका था। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि वन्दना की लाश की सूचना अपने गाँव में ही मिली थी। सूचना मिलने पर मैं व मेरे पति व मेरी सास रोने लगी थी। यह लाश की सूचना शाम 06.00 बजे आई थी। वह सूचना वन्दना के जाने के अगले दिन आई थी। मुझे नहीं मालूम कि सूचना कौन लेकर आया था। मुझे अपनी भतीजी से बहुत लगाव था। मैंने लगाव के बावजूद वन्दना की लाश को देखने चलते हैं नहीं कहा था और मैं पति के साथ लाश देखने नहीं गयी थी। फिर पति अकेले गये या नहीं मुझे यह भी नहीं मालूम है उसके अगले दिन जब पोस्टमार्टम के बाद लाश आयी तब मैंने देखी थी। तभी मेरे पति ने बताया था कि वन्दना के पति व ससुरालीजन के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी है, फिर कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है कि मेरे पति ने क्या कहा था। अग्रेतर कहा कि मुझे नहीं मालूम कि लाश कितने बजे आई थी। जब लाश आई तब वन्दना के माता-पिता मौजूद नहीं थे। फिर कहा कि उसके पिता आ गये थे। जिस दिन लाश आई उस दिन शाम को वन्दना के पिता जी आ गये थे। मैं नहीं जानती की अदालत से पहले मेरा कही बयान हुआ या

नहीं। यह मालूम है कि सबसे पहली बार मैंने अदालत में ही बताया है कि वन्दना को दुष्यन्त बुला कर ले गया है। मैंने अदालत से पहले घर के अलावा अन्य किसी को नहीं बताया कि वन्दना को पैसे के लिए तंग व परेशान किया जाता है। वन्दना का वह जेवर जो पहन कर गई थी, वह नहीं मिला था। मैंने बालाजी मंदिर नहीं देखा है। मैंने वन्दना को मारते व लूटते जेवर को नहीं देखा था। कोई आदमी ऐसा भी नहीं मिला कि जिसने देखा हो कि वन्दना का जेवर किसने लूटा। अग्रेतर कहा कि वन्दना कि शादी से पहले वन्दना की बड़ी ननद की शादी हो चुकी है। बाकी देवर व ननद पढ रहे थे। मैंने पुलिस को भी दहेज मांगने व परेशान करने में मृतका के ननद व देवर के नाम भी बताये थे। अगर बयान में नहीं लिखे हैं तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती हूँ।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 3 एहवेश कुमार यादव को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“मृतका वन्दना यादव मेरी पुत्री थी। उसकी शादी अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ पिन्कू के साथ 20-04-2006 को हुई थी। शादी में दान दहेज आदि देकर करीब दस लाख रूपये खर्च किये थे। शादी के बाद से ही मेरी बेटी के ससुर देवेन्द्र, सास सुभाषा देवी, पति दुष्यन्त, ननद पप्पन, ननद सोनी, भानु, दीपक देवर आदि लोग अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रूपये की मांग करते थे। इस मांग की खातिर ये लगे मेरी बेटी को परेशान उत्पीड़न व मारपीट करते थे। इस सम्बन्ध में मैं व बेटी ने मायके आने पर बताया था कई बार बताया था। हम लोगों ने बेटी का ससुराल वालों को समझाया ता लेकिन ये लोग नहीं माने थे। उत्पीड़न की वजह से मेरी बेटी वन्दना यादव मायके में घटना से करीब चार महीने पहले से रह रही थी। घटना दिनांक 13-05-12 की है। उस दिन दुष्यन्त यादव उर्फ पिन्कू यादव मेरी बेटी वन्दना यादव को चेकअप कराने के बहाने से हमारे गांव जेवड़ा से अपने साथ लिवा लाया था। उसके बाद मेरी बेटी वन्दना यादव की लाश नहर के पास पड़ी मिली थी। मेरी बेटी की हत्या उसके पति दुष्यन्त उर्फ पिन्कू व उसके उपरोक्त घरवालों ने मिलकर योजना के तहत मेरी बेटी को बुलवाकर हत्या करके उसके शव को नहर के किनारे डाल दिया था। उस दिन शाम को हम लोगों को गुमराह करने के लिए दुष्यन्त उर्फ पिन्कू ने शाम को 07.30 बजे फोन किया था कि तुम्हारी बेटी को टैम्पू में बैठा दिया है। जबकि असलियत में ऐसा उसने किया नहीं था। केवल गुमराह करने के लिए फोन किया था। प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरी पुत्री की शादी में मध्यस्थ एख पण्डित जी थे जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं है। शादी में जो मध्यस्थ थे वही

शादी में पुरोहित थे। मुझे शादी में काम करने वाले नाई का नाम भी मालूम नहीं है। शादी में हलवाई मेरे भाई ने किया था, इसलिए मुझे उसका नाम नहीं मालूम। मैंने वर्ष 2006 में शादी की काफी खरीददारी की थी। उसकी रसीदे हो भी सकती है और नहीं भी, रसीदे होंगी तो भाई के पास होंगी। दौरान विवेचना सी०ओ० साहब ने मेरे बयान लिए थे। बयानों पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। उन हस्ताक्षर की बयानों की नकल सी०ओ० साहब को ने दी होगी मुझे ध्यान नहीं है। दौरान विवेचना मैंने सी०ओ० साहब को खरीददारी की कोई रसीद नहीं दिखा सका, जिससे शादी 2006 की स्थापित हो सके। लेकिन शादी का कार्ड दिखाया। पुत्री की मृत्यु के 20-22 दिन बाद मेरा बयान सी०ओ० साहब ने लिखा। उसके 1-2 दिन बाद मैंने सी०ओ० साहब को शादी का कार्ड दिखाया था और जो उन्होंने ले लिया। उसकी न कोई लिखा पढी हुई और न मेरे हस्ताक्षर हुए। यह कार्ड हिन्दी में था। यह मक्खनपुर में छपा था मुझे इस समय याद नहीं है। शादी की तिथि शादी से 4-5 माह पूर्व तय हुई थी। पीली चिट्ठी हमारे यहां से कब गई थी उसकी सही तिथि मुझे ध्यान नहीं है। भात व मण्डप का दिन 19-04-2001 का था। पीली चिट्ठी भेजना व स्वीकार लड़के वालों द्वारा करना ही शादी की स्वीकृति थी। जिसमें कोई विवाद नहीं था। विवेचक के सामने पण्डित व नाई के बयान नहीं कराये फिर कहा मेरे सामने नहीं हुए। जो कार्ड शादी का छपवाया था उसमें परिवालों के किन-किन लोगों के नाम लिखवाये उनकी संख्या नहीं मालूम। कार्ड का रंग क्रीम कलर का था। शादी के बाद जो कार्ड छपवाये थे उनमें से एक कार्ड सुरक्षित था। सुरक्षित कार्डों में से एक कार्ड सी०ओ० साहब को दिया था। उस समय घर पर 4-5 कार्ड थे। इस सदी के कार्ड छपे हैं और शादियों में कार्ड छपे थे। उन शादियों के कार्ड घर पर देखने पड़ेंगे। बारात हमारे गांव में हमारे परिजनों का साई मंदिर है। उसमें बारात को रोका गया था। टेन्ट मक्खनपुर का था। नाम मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री की शादी 20-04-2006 को नहीं हुई है। यह कहना गलत है कि मेरी बेटा का विवाह दिनांक 20-04-2005 को हुआ हो। यह कहना गलत है कि मामले को दहेज हत्या के रूप में लाने के लिए शादी 2006 की होना गलत रूप में दर्शित हो। यह कहना गलत है कि मेरे पास 2006 की शादी के सामान खरीददारी की रसीदे इसलिये न हो क्योंकि शादी 2005 में हुई हो और 2006 में न हुई हो। मेरी पुत्री की शादी से पूर्व पप्पन की शादी हो चुकी थी। दुष्यन्त शादी के समय उसकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष की रही होगी। प्रियंका की शादी के समय कितने वर्ष की रही होगी मुझे नहीं मालूम। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बोल सकता कि वन्दना की शादी के

समय प्रियंका उर्फ भानु की उम्र 10 वर्ष के आस-पास रही होगी। शादी के 4-5 महीने बाद मुझे जानकारी हुई कि मेरी पुत्री से दहेज की मांग होती है। इस दहेज की मांग के बाद मेरी पुत्र 5-6 वर्ष जीवित रही। इस अवधि में मेरी पुत्री मायके आती-जाती रही थी। इस अवधि में हम लोगों ने दहेज की मांग या प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में कभी कोई शिकायत किसी अधिकारी से नहीं की और न कभी रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ी। पुत्री की मृत्यु से चार माह पूर्व मेरी मुलाकात आखिरी बार मेरी पुत्री वन्दना से हुई थी। यह मुलाकात मेरे गांव में हुई थी। उस समय मेरी पुत्री गर्भवती थी। उस समय उसके डेढ़-दो माह का गर्भ था, मैंने गर्भावस्था में उसका चैकअप मक्खनपुर में फिरोजाबाद में मेरे भाई ने करवाया था, मैंने नहीं कराया। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मेरी पुत्री उसी डाक्टर के इलाज में चल रही थी या नहीं जिससे चैकअप मेरे भाई ने कराया था। मेरे भाई ने मुझे पूछने पर बताया कि उसी डाक्टर के इलाज में चल रही है। जिससे मैंने चेकअप कराया था। यह बात-चीत भाई से मेरी वन्दना की मौत से 4-5 दिन पहले हुई थी। मेरी पुत्री से दहेज मांगने व उत्पीड़न करने की बात अपने परिजन व मौहल्ले वालों से की थी। मुल्जिमान के मुहल्ले वालों से दहेज की मांग व प्रताड़ना की बात नहीं की थी, मुल्जिमान से आखिरी बार पुत्री की मौत से 4-5 माह पूर्व बात हुई थी। यह बात आमने-सामने हुई थी। उस समय मैं अकेला ही था। पुत्री मेरे घर पर थी। मृत्यु से पहले जिस अवधि में मेरी पुत्री मायके रही उस समय तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया था और न पुत्री ने किया था। तब भी हमने कानूनी कार्यवाही की जरूरत नहीं समझी। मुझे दिनांक 13-05-12 को रात्रि में पुत्री का 09-10 बजे गुमशुदगी का समाचार मिला था। जिस पर मैं दिनांक 14-05-12 को डेढ़-दो बजे दोपहर फिरोजाबाद आ गया था। (अस्पताल) उस समय पुत्री की लाश मोर्चरी में रखी थी, वहाँ पर उस समय मेरा भाई दिनेश व अन्य परिजन मौजूद थे। मुझे उस समय पुलिस दिखाई नहीं दी फिर कहा पुलिस वहां खड़ी थी फिर रात को 8-9 बजे पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को निकाला था। गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरे भाई ने मेरे आने से पहले कर दी थी। मेरे आने के बाद रिपोर्ट नहीं हुई थी। बयान हुए थे। मेरे गाँव जेवड़ा से बालाजी मन्दिर 8-10 किलोमीटर होगा। 13-05-12 को रात को 9-10 बजे सूचना मेरे भाई दिनेश ने मुझे फोन से दी। इस गुमशुदगी की सूचना पर मैं अकेला दिल्ली से चल दिया। मेरी पत्नी 3-4 दिन बाद आई थी। फिर कहा दो-तीन दिन बाद आई थी। वन्दना मृत्यु से 16-17 माह पूर्व ही मेरी पुत्री गर्भवती और एक पुत्र को जन्म दिया जो जन्म के पश्चात खत्म हो गया था। वह प्रसव ससुराल में हुआ था। वह प्रसव किस

अस्पताल में हुआ था मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं नहीं आया था। पहले प्रसव की देखभाल ससुराल वालों ने ही की थी। मैंने न्यायालय में यह बयान 13-05-12 को दुष्यन्त मेरी पुत्री को गांव से चेकअप के बाहने ले गया था। उसका शव हत्या कर बालाजी मंदिर के पास नहर किनारे डाल दिया तथा फोन से कहा कि वन्दना को टैम्पो से भेज दिया है। यह बयान भाई दिनेश कुमार व परिजनों के बताने पर न्यायालय में दिया है। मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं गांव में मौजूद नहीं था। घटना के बाद मुल्जिमान से मुलाकात नहीं हुई थी। पुत्री की ससुराल से जेवर नहीं मिला न कोई रुपया मिला। मेरी पुत्री अपने वैवाहिक जीवन में दो बार बाम्बे गई थी। वह अकेली गयी थी, आखिरी बार वह मेरे पास सन् 2011 में बम्बई मेरे साथ गयी थी, उसके बाद मैं उसे जेवड़ा छोड़ गया था। जहाँ से उसका पति लिवाकर अपने घर ले गया था। यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री को न तो कभी तंग परेशान किया गया और न मुल्जिमान द्वारा कभी प्रताड़ित किया गया हो। यह कहना भई गलत है कि अभियुक्तगण ने कभी कोई दहेज की मांग न की हो। यह कहना भी गलत है कि मृतका ने कभी कोई शिकायत किसी प्रकार की मुल्जिमान की हमसे न की हो। यह कहना भी गलत है कि दुष्यन्त मेरी पुत्री को गांव से न ले गया हो और न ही मुल्जिमान द्वारा उसकी हत्या की गई है। यह कहना भी गलत है कि मृतका द्वितीय प्रसव हेतु इसलिये मायके आ गई हो क्योंकि पहला बच्चा जो ससुराल में हुआ था। वह मर गया तथा मान्यता हो कि ऐसे में अगला प्रसव मायके में कराना चाहिए। यह कहना भी गलत है कि मेरी पुत्री दर्शन करने गई हो व अज्ञात बदमाशों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई हो। यह कहना भी गलत है कि पुत्री की मृत्यु के बाद हम लोग मुल्जिमान से पैसे चाहते थे जो न मिलने पर उन्हें झूठा फंसा दिया गया हो। यह कहना भी गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 HCP 142 मनोज कुमार दीक्षित को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“दिनांक 14-05-12 को थाना मक्खनपुर पर बतौर कान्सटेबल क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा दिनेश कुमार निवासी-ग्राम जेवड़ा ने आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दी जो धनंजय यादव द्वारा लिखित व खुद के हस्ताक्षर में बनाम दुष्यन्त उर्फ पिन्कू आदि 9 नफर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 498A, 364 भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। मु०अ०सं० 83/12 है। मेरे द्वारा पंजीकृत की गयी थी। पत्रावली पर 3 अ/1 मौजूद है, जो मेरे लेख व

हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। मुकदमा उपरोक्त का खुलासा जी०डी० नं० 36 समय 13.45 उपरोक्त दिनांक को ही किया था। इसकी आज जी०डी० में साथ लेकर आया हूँ। जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर मौजूद है। जिसको असल जी०डी० से मिलान कर प्रमाणित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। प्रति-परीक्षा में कहा कि वादी दिनेश कुमार यादव थाना पर दिनांक 14-05-12 को 01.45 बजे दिन स्वयं आया था। करीब आधा घण्टे वह थाना पर रुका था। उसी समय विवेचना एस०ओ० साहब को दे दी गयी थी। वह उस समय थाने पर मौजूद था। उसके बाद एस०ओ० साहब इसी जी०डी० से घटना स्थल गांव जेवड़ा के लिये रवाना हो गये थे। नकल प्राप्त करने के बाद वादी कहा चला गया मुझे नहीं मालूम है। दिनांक 14-05-12 की पूरी जी०डी० मेरे पास है। दिनांक 14-05-12 की पूरी जी०डी० में जो रात 12.00 बजे बन्द हुई तक इस केस की अपहृता वन्दना यादव की लाश की बरामदगी कोई सूचना किसी अन्य थाने से वादी या उसके परिजन द्वारा लाश मिलने की जी०डी० में अंकित नहीं है। यदि लाश की सूचना होती तो जी०डी० में अंकित की जाती है। रिपोर्ट लिखाने वादी के साथ कोई नहीं आया था। वादी अकेले आया था। वादी ने रिपोर्ट लिखाते समय 13.45 PM पर लाश मिलने वाली बात नहीं बतायी थी। गवाह ने कागज सं० 6 अ देखकर कहा कि वह पंचायतनामा श्रीमती वन्दना का है जो मेरे द्वारा लिखी गयी रिपोर्ट की अपहृता है। वह पंचायतनामा दिनांक 14-05-12 को 13.10 से 14.40 तक भरा गया। यह बयान गवाह ने पंचायतनामा देखकर दिया। इस पंचायतनामा के द्वितीय पृष्ठ पर 83/12 अन्तर्गत धारा 364, 498A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट लिखा है। पंचान में नं० 2 पर वादी दिनेश कुमार पुत्र कामता प्रसाद का नाम अंकित है तथा पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर हैं। 01.45 लेकर चिक रिपोर्ट देने तक मेरे पास था और कही वादी नहीं हो सकता। 01.10PM से लेकर 02.20 PM पर पंचायतनामा में उसकी उपस्थित कैसे दिखा दी मुझे नहीं मालूम है। मुझे यह भी नहीं पता है कि मुकदमा दर्ज होने से पूर्व ही पंचायतनामा अ०सं० व धारायें कैसे आ गयी। उसी दिन रात्रि 12.00 बजे तक जी०डी० बन्द होने तक कोई संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज हुई न उस दिन जी०डी० बन्द होने तक एस०ओ० साहब के थाने में वापसी हुई। कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दी थी। रिपोर्ट के समय वादी ने कोई शादी का कार्ड मुझे नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टी टाइम दर्ज हुई हो। यह कहना भी गलत है कि मैं आज झूठा बयान दे रहा हूँ।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 डा० आर० ए० शर्मा को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

“दिनांक 14-05-2012 को मैं जिला अस्पताल फिरोजाबाद में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को समय 08.15 PM श्रीमती वंदना उम्र लगभग 26 वर्ष सी०पी० 1497 महीपाल सिंह व होमगार्ड 1355 चुन्नीलाल थाना शिकोहाबाद सील बन्द शव को लेकर आये थे। पोस्टमार्टम -----वीडियोग्राफी करायी गयी थी। जिलाधिकारी फिरोजाबाद व सी.एम.एस. फिरोजाबाद जिला अस्पताल के आदेशानुसार पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम दो डाक्टर की टीम द्वारा किया गया था।

वाह्य परीक्षण- अच्छे कद काठी की महिला थी। शरीर की अकड़न गर्दन व अपर LIHVB से पास थी और लोवर बाडी में उपस्थित थी। पेट फूला हुआ था व रंगीन था। बैंगनी चकत्ते शरीर पर मौजूद थे। आँखे बन्द थी। नाक में खून मौजूद था। मृतका का शरीर फूला हुआ था।

चोटें-

1- कन्टीयूजन 6 cm X 2 cm गर्दन के बायीं तरफ मौजूद थी।

2- कन्टीयूजन 4 cm X 2 cm थोड़ी के नीचे मौजूद थी।

सिर NAD, उक्स ब्रोउनकार्ड (Bronchi) congested दाहिना फेफड़ा व बायां फेफड़ा कन्जस्टेड था। हृदय दायां भरा हुआ था, बायां हृदय खाली था। उदर- भित्तिया जैसे बताया था। आमाशय- खाली व कन्जस्टेड था। छोटी आँत- तरल व गैसेस मौजूद थी। बड़ी आँत- गैसेस व मल पदार्थ मौजूद था। यकृत- कन्जस्टेड था। पित्ताशय- भरा हुआ था। प्लीहा व गुर्दा- कन्जस्टेड था। मूत्राशय खाली था। गर्भाशय में गर्भ मौजूद था। गर्भ की लम्बाई 32 से०मी०, सिर 27 से०मी०, वजन 868.5 ग्राम था। छोटा पेनिस CPEHIS व SCROTUM. मृत्यु का समय पोस्टमार्टम करने के समय से लगभग एक दिन पूर्व होना संभव है। कपड़े- कुर्ता एक, सलवार एक, ब्रा एक, अन्डरवीयर एक, बिछुआ चार, अंगूठी दो पीली धातु की, काँच की चुडियों के टुकड़े, कान की बाली एक जो कि पीली धातु की मौजूद थी। इनको सील करके साथ आये पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया था।

मृत्यु का कारण- मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं होने के कारण विसरा जाँच के लिये भेजा गया था। विसरा सुरक्षित किया गया।

1- जार एक- पेट

2- जार दो- A छोटी आँत का टुकड़ा, B- लीवर व गाल ब्लेडर का पीस,

C- एक गुर्दा, D- प्लीहा।

3- जार तीन- प्रिजर्वेटिव का सैम्पल।

पोस्टमार्टम मेरे हस्तलेख मे है जो पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 7 अ है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। प्रति-परीक्षा में कहा कि मृतका के कपड़े व आभूषण आज मेरे सामने मौजूद नहीं है। पोस्टमार्टम से पूर्व पंचायतनामा व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया था। पत्रावली पर मौजूद पंचायतनामा प्रदर्श क-2 के संलग्नकों में FIR संलग्न नहीं है। पोस्टमार्टम मैने दिनांक 14-05-12 को समय करीब 08.15 PM पर किया था। इसका अनुमान नहीं है कि शव अस्पताल में कितने समय पर आया था। मृत्यु के सम्भावित समय में लगभग 6-6 घण्टे का दोनों ओर अन्तर होना संभव है। चोट नं० 1 गर्दन के बायी ओर थी और चोट नं० 2 थोड़ी के नीचे थी। इन चोटों के अन्दर की स्थिति पोस्टमार्टम में नहीं लिखी है। चोटों के आस -पास सूजन नहीं थी। हायड बोन टूटी नहीं थी कंठनली टूटी नहीं थी। यह संभव है कि गर्दन की चोटों को रगड़ कर भी बनाया जा सकता है। मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो सका था, इसलिए विसरा संरक्षित किया गया था। मृतका के कपड़ों व शरीर पर उल्टी के कोई निशान नहीं मौजूद थे। कपड़ों के कटे फटे होने व कीचड़ की निशानी नहीं मौजूद थी। आभूषण नहीं विकृत थे। क्योंकि इसका उल्लेख PMR में नहीं है। गर्भ का पोस्टमार्टम करके गर्भस्थ शिशु का पोस्टमार्टम नहीं किया था और विसरा संरक्षित नहीं किया गया है। गर्भस्थ शिशु के साथ महिला को पुलिस को सौंप दिया था। यह कहना गलत है कि मैने स्वयं निर्देशानुसार पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार न की हो।

कतिपय विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जाना समिचीन है-

विधि व्यवस्था सुनील बजाज बनाम स्टेट आफ एम०पी० लखनऊ क्रिमिनल रिपोर्ट्स 533 प्रस्तर 5 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न आशय का अभिमत व्यक्त किया गया।

5- "We have given our attention and consideration to the submissions made by the learned counsel for the parties. Normally this Court will be slow and reluctant, as it ought to be, to upset the order of conviction of the trial court as confirmed by the High Court appreciating the evidence placed on record. But in cases where both the courts concurrently recorded a finding that the accused was guilty of an offence in the absence of evidence satisfying the necessary ingredients of an offence; in other words, when no offence was made out, it

becomes necessary to disturb such an order of conviction and sentence to meet the demand of justice. In order to convict an accused for an offence under Section 304-B IPC, the following essentials must be satisfied:

- 1) The death of a woman must have been caused by burns or bodily injury or otherwise than under normal circumstances;
- 2) Such death must have occurred within 7 years of her marriage;
- 3) Soon before her death, the woman must have been subjected to cruelty or harassment by her husband or by relatives of her husband;
- 4) Such cruelty or harassment must be for or in connection with demand of dowry.

It is only when the aforementioned ingredients are established by acceptable evidence such death shall be called dowry death and such husband or his relative shall be deemed to have caused her death. It may be noticed that punishment for the offence of dowry death under Section 304-B is imprisonment of not less than 7 years, which may extend to imprisonment for life. Unlike under Section 498-A IPC, husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty shall be liable for imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine. Normally, in a criminal case accused can be punished for an offence on establishment of commission of that offence on the basis of evidence, may be direct or circumstantial or both. But in case of an offence under Section 304-B IPC an exception is made by deeming provision as to nature of death as dowry death and that the husband or his relative, as the case may be, is deemed to have caused such death, even in the absence of evidence to prove these aspects but on proving the existence of the ingredients of the said offence by convincing evidence. Hence, there is need for greater care and caution, that too having regard to the gravity of the punishment prescribed for the said offence, in scrutinizing the evidence and in arriving at the conclusion as to whether all the above mentioned ingredients of the offence are proved by the prosecution. In the case on hand, the learned counsel for the appellant could not dispute that the first two ingredients mentioned above are satisfied.

विधि व्यवस्था बलजीत सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ हरियाणा, लखनऊ, क्रिमिनल रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट 596 के प्रस्तर 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न आशय का अभिमत व्यक्त किया गया है-

8- "A perusal of this section clearly shows that if a married woman dies otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband in connection with demand for dowry, such death shall be called "dowry death" and such husband or relative shall be deemed to have caused the death. The conditions precedent for establishing an offence under this Section are as follows: (a) that a married woman had died otherwise than under normal circumstances; (b) such death was within 7 years of her marriage; (c) and the prosecution has established that there was cruelty and harassment in connection with demand for dowry soon before her death.

9- "Section 113-B permits a presumption to be drawn against the accused in regard to dowry death provided the prosecution establishes that soon before her death the woman was subjected to cruelty or harassment.

10- "The explanation to said section says the word "dowry death" shall have the same meaning as in Section 304-B of the IPC which means such death should be otherwise than in normal circumstances and within 7 years of marriage. On a conjoint reading of these sections, it is clear that for drawing a presumption under Section 113-B of the Evidence Act firstly there should be a death of a woman otherwise than in normal circumstances, within 7 years of marriage and the prosecution having shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment in connection with any demand for dowry by persons accused of having committed the offence. Unless and until these preliminary facts are established by the prosecution, it is not open to the courts to draw a presumption against the accused invoking Section 113-B of the Evidence

Act. We are supported in this view of ours by a judgment of a three-Judge Bench of this Court in the case of [Ramesh Kumar vs. State of Chhattisgarh](#) (2001 (9) SCC 618) wherein this Court held thus:

"Before the presumption may be raised, the foundation thereof must exist. A bare reading of Section 113-A shows that to attract applicability of Section 113-A, it must be shown that (i) the woman has committed suicide, (ii) such suicide has been committed within a period of seven years from the date of her marriage, (iii) the husband or his relatives, who are charged had subjected her to cruelty. On existence and availability of the above said circumstances, the court may presume that such suicide had been abetted by her husband or by such relatives of her husband. Parliament has chosen to sound a note of caution. Firstly, the presumption is not mandatory; it is only permissive as the employment of expression "may presume" suggests. Secondly, the existence and availability of the abovesaid three circumstances shall not, like a formula, enable the presumption being drawn; before the presumption may be drawn the court shall have to have regard to "all the other circumstances of the case". A consideration of all the other circumstances of the case may strengthen the presumption or may dictate the conscience of the court to abstain from drawing the presumption. The expression "the other circumstances of the case" used in Section 113-A suggests the need to reach a cause-and-effect relationship between the cruelty and the suicide for the purpose of raising a presumption. Last but not the least, the presumption is not an irrebuttable one. In spite of a presumption having been raised the evidence adduced in defence or the facts and circumstances otherwise available on record may destroy the presumption. The phrase "may presume" used in Section 113-A is defined in Section 4 of the Evidence Act, which says "Whenever it is provided by this Act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved, unless and until it is disproved, or may call for proof of it."

11- "The above case, of course, deals with Section 113-A of the Evidence Act. However, the principle laid down therein squarely applies to cases involving Section 113-B of the said

Act also in so far as they relate to the proof of facts enumerated in the section before a presumption is drawn.

12- "From the above, it is clear that certain conditions precedent by way of proved facts should be brought on record before the courts can draw a presumption under Sections 113-A or 113-B of the Evidence Act.

We will now examine whether the prosecution in this case has discharged its initial burden so as to attract the presumption under Section 113-B of the Evidence Act and whether the courts below have correctly applied that law to the facts of this case."

इसी प्रकार विधि व्यवस्था **चरन सिंह उर्फ चरनजीत सिंह बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड AIR 2023 सुप्रीम कोर्ट 2095 : AIR Online 2023 SC 293 के प्रस्तर 10,11,12,13** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न आशय का अभिमत व्यक्त किया गया है-

10. "The conviction of the appellant is under Sections 304B and 498A IPC raising presumption regarding dowry death within seven years of marriage. To appreciate the arguments raised by the learned counsel for the parties, a perusal of Section 304B and 498A IPC and Section 113B of the Indian Criminal Appeal No. 447 of 2012 Evidence Act would be required. The same are extracted hereinbelow:-

"304B. Dowry death .— (1) Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called "dowry death", and such husband or relative shall be deemed to have caused her death.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, "dowry" shall have the same meaning as in Section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

(2) Whoever commits dowry death shall be punished

with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life.

498–A. Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty — Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Explanation.—For the purposes of this section, “cruelty” means —

(a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or

(b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful Criminal Appeal No. 447 of 2012 demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

113B. Presumption as to dowry death.— When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the Court shall presume that such person had caused the dowry death.

Explanation.—For the purposes of this section, “dowry death” shall have the same meaning as in [Section 304–B](#) of Indian Penal Code (45 of 1860)”.

11. The interpretation of [Sections 304B](#) and [498A](#) IPC came up for consideration in Baijnath’s case (supra). The opinion was summed up in paras 25 to 27 thereof, which are extracted below:–

“25. Whereas in the offence of dowry death defined by [Section 304–B](#) of the Code, the ingredients thereof are:

(i) death of the woman concerned is by any burns or bodily injury or by any cause other than in normal circumstances, and

(ii) is within seven years of her marriage, and

(iii) that soon before her death, she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of the husband for, or in connection with, any demand for dowry. Criminal Appeal No. 447 of 2012 The offence under [Section 498-A](#) of the Code is attracted qua the husband or his relative if she is subjected to cruelty. The Explanation to this Section expositis "cruelty" as:

(i) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical), or

(ii) harassment of the woman, where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

26. Patently thus, cruelty or harassment of the lady by her husband or his relative for or in connection with any demand for any property or valuable security as a demand for dowry or in connection therewith is the common constituent of both the offences.

27. The expression "dowry" is ordained to have the same meaning as in [Section 2](#) of the Dowry Prohibition Act, 1961. The expression "cruelty", as explained, contains in its expanse, apart from the conduct of the tormentor, the consequences precipitated thereby qua the lady subjected thereto. Be that as it may, cruelty or harassment by the husband or any relative of his for or in connection

with any demand of dowry, to reiterate, is the gravamen of the two offences.

12. As the aforesaid case was also pertaining to dowry death, presumption under Section 113B of the Indian Evidence Criminal Appeal No. 447 of 2012 Act was also discussed in detail in paras 29 to 31 of the aforesaid judgment. The same are extracted below:—

“29. Noticeably this presumption as well is founded on the proof of cruelty or harassment of the woman dead for or in connection with any demand for dowry by the person charged with the offence. The presumption as to dowry death thus would get activated only upon the proof of the fact that the deceased lady had been subjected to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry by the accused and that too in the reasonable contiguity of death. Such a proof is thus the legislatively mandated prerequisite to invoke the otherwise statutorily ordained presumption of commission of the offence of dowry death by the person charged therewith.

30. A conjoint reading of these three provisions, thus predicate the burden of the prosecution to unassailably substantiate the ingredients of the two offences by direct and convincing evidence so as to avail the presumption engrafted in Section 113-B of the Act against the accused. Proof of cruelty or harassment by the husband or his relative or the person charged is thus the sine qua non to inspire the statutory presumption, to draw the person charged within the coils thereof. If the prosecution fails to demonstrate by cogent, coherent and persuasive evidence to prove such fact, the person accused of either of the above referred offences cannot be held guilty by taking refuge only of the presumption to cover up the shortfall in proof.

31. The legislative primature of relieving the prosecution of the rigour of the proof of the often practically inaccessible recesses

of life within the guarded confines of a matrimonial home and of replenishing the consequential void, by according a presumption against the person charged, cannot be Criminal Appeal No. 447 of 2012 overruled to gloss over and condone its failure to prove credibly, the basic facts enumerated in the sections involved, lest justice is the casualty”.

13. A conjoint reading of Section 304B IPC and Section 113B of the Indian Evidence Act with reference to the presumption raised was discussed in para 32 of the aforesaid judgment, which is extracted below:-

“32. This Court while often dwelling on the scope and purport of Section 304-B of the Code and Section 113-B of the Act have propounded that the presumption is contingent on the fact that the prosecution first spell out the ingredients of the offence of Section 304-B as in Shindo v. State of Punjab [Shindo v. State of Punjab, (2011) 11 SCC 517 : (2011) 3 SCC (Cri) 394] and echoed in Rajeev Kumar v. State of Haryana [Rajeev Kumar v. State of Haryana, (2013) 16 SCC 640 : (2014) 6 SCC (Cri) 346] . In the latter pronouncement, this Court propounded that one of the essential ingredients of dowry death under Section 304-B of the Code is that the accused must have subjected the woman to cruelty in connection with demand for dowry soon before her death and that this ingredient has to be proved by the prosecution beyond reasonable doubt and only then the Court will presume that the accused has committed the offence of dowry death under Section 113-B of the Act. It referred to with approval, the earlier decision of this Court in K. Prema S. Rao v. Yadla Srinivasa Rao [K. Prema S. Rao v. Yadla Srinivasa Rao, (2003) 1 SCC 217 : 2003 SCC (Cri) 271] to the effect that to attract the provision of Section 304-B of the Code, one of the main ingredients of the offence which is required to be established is that “soon before her death” she was

Criminal Appeal No. 447 of 2012 subjected to cruelty and harassment "in connection with the demand for dowry".

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दिनांक 14-05-2012 को समय 01.45 अपराह्न में थाना मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद पर वादी (Informant) श्री दिनेश कुमार यादव पी०डब्लू० 1 द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर पंजीकृत की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट HCP 142 मनोज कुमार दीक्षित पी०डब्लू० 4 द्वारा पंजीकृत की गयी। पी०डब्लू० 4 दिनांक 14-05-12 को थाना मक्खनपुर पर बतौर का० क्लर्क तैनात थे। उनके शपथपूर्वक किये गये कथनानुसार दिनांक 14-05-12 को वादी दिनेश कुमार यादव पी०डब्लू० 1 तहरीर लेकर आया था। तहरीर प्रदर्श क-1 धनंजय नामक व्यक्ति से लिखवाई गयी। पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव वादी दिनांक 14-05-12 को समय 01.45 पर आया था। वह लगभग आधा घण्टा थाने पर रुका था। उसी समय विवेचना थाना प्रभारी द्वारा ग्रहण की गयी और थाना प्रभारी उसी समय ग्राम जेवड़ा के लिए रवाना हो गये थे। दिनांक 14-05-12 की पूरी जी०डी० रात 12 बजे बन्द हुई। तब तक इस केस की अपहृता वन्दना यादव की लाश बरामदगी की सूचना किसी अन्य थाना वादी या उसके परिवार वाले लाश मिलने की सूचना जी०डी० में अंकित नहीं थी। यदि लाश की सूचना होती तो जी०डी० में अंकित की जाती। अग्रेतर यह भी कहा कि रिपोर्ट लिखाने वादी के साथ कोई नहीं आया था। वादी अकेले आया था। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक पी०डब्लू० 4 ने अग्रेतर कहा कि वादी पी०डब्लू० 1 ने रिपोर्ट लिखते समय 13.45PM पर लाश मिलने वाली बात नहीं बतायी थी। साक्षी पी०डब्लू० 4 चिक एफ०आई०आर० लेखक मनोज कुमार दीक्षित ने मृतका वन्दना का पंचायतनामा देखकर कहा कि पंचनामा दिनांक 14-05-12 को 13.10 से लेकर 14.40 तक भरा गया है। पंचनामा उपरोक्त के द्वितीय पृष्ठ पर मु०अ०सं० 83/12, अन्तर्गत धारा 364, 498A भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट लिखा है। उसके पृष्ठ 2 पर वादी दिनेश कुमार यादव पुत्र कान्ता प्रसाद यादव का नाम अंकित है और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अग्रेतर शपथपूर्वक कथन किया कि 01.45 से लेकर रिपोर्ट देने तक वादी पी०डब्लू० 1 मेरे पास था और कहीं वादी नहीं हो सकता था। 01.10 PM से लेकर 02.20 PM तक पंचनामा में उसकी उपस्थिति कैसे लिख दी मुझे नहीं मालूम है। मुझे यह भी नहीं मालूम है कि मुकदमा दर्ज होने से पूर्व ही पंचनामा में अपराध संख्याएं व धाराएं कैसे अंकित हो गयीं। उस दिन रात्रि 12.00 बजे तक जी०डी० बन्द होने तक

कोई संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और न उस दिन जी०डी० बंद होने तक एस०ओ० साहब की थाने में वापसी हुई। कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दी थी। रिपोर्ट के समय वादी ने कोई कार्ड भी नहीं दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित होने के उपरान्त विवेचना श्री रघुवर राम गौतम पी०डब्लू० 8 द्वारा ग्रहण कर अग्रसारण की गयी, श्री रघुवर राम गौतम को पी०डब्लू० 8 के रूप परीक्षित किया गया। जो प्रस्तुत प्रकरण के प्रथम विवेचक हैं। पी०डब्लू० 8 के साक्ष्यों के अनुसार मु०अ०सं० 83/12, धारा 364, 498A भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विवेचना हस्तगत की गयी। उनके द्वारा प्रथम पर्चा दिनांक 15-05-12 को लिखा गया। उसी दिन अर्थात् 15-05-12 को वादी पी०डब्लू० 1 का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित कर वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और उसी दिन समई साक्षी अजमेर सिंह व प्रमोद कुमार के बयान अंकित किये गये। विवेचक श्री रघुवरराम पी०डब्लू० 8 उस दिन गश्त करते हुए तिराहे पर पहुँचे तो उसी समय वादी पी०डब्लू० 1 अपने कुछ साथियों के साथ आया था। वादी पी०डब्लू० 1 ने विवेचक को बताया था कि दुष्यन्त तथा ससुराली पक्ष ने भतीजी की हत्या करके शिकोहाबाद क्षेत्र में नहर में लाश फेंक दिया है। थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा पंचनामा की कार्यवाही की जा रही है। पोस्टमार्टम हेतु जाने का भी कथन पी०डब्लू० 1 ने किया था। एक लिखित तहरीर वादी ने दी, जिसपर धारा 364 भा०दं०सं० का लोप करके धारा 304B भा०दं०सं० की बढोत्तरी की गयी। तत्पश्चात् विवेचना क्षेत्राधिकारी सी०ओ० को सुपुर्द की गयी। पी०डब्लू० 8 के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उन्होंने ने पंचनामा नहीं देखा था। उनके साक्ष्य में यह भी आया है कि दिनांक 14-05-12 को समय 13.45 बजे वादी दिनेश कुमार यादव ने थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। वह थाने पर लगभग आधा घण्टा रुका था। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 8 श्री रघुवर राम गौतम (प्रथम विवेचक) के प्रति-परीक्षा के पेज 3 पर कहा है कि "यह सही है कि पंचायतनामें में यदि वादी की उपस्थिति दिनांक 14-05-12 को समय 13.10 से लेकर 14.40 बजे तक लाश के पास नहर पर दर्शायी गयी है तो या तो पंचायतनामा में समय गलत है या तो रिपोर्ट गलत है।" पी०डब्लू० 8 ने अग्रेतर कहा कि "दिनांक 14-05-12 को समय 13.45 बजे जब वादी थाना रिपोर्ट लिखाने आया तब उसने लाश मिलने वाली बात थाने पर नहीं बताई थी। लाश मिलने वाली बात क्यों छिपायी थी, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर लाश मिलने वाली बात बताता तो यह मुकदमा धारा 304B भा०दं०सं० में कायम होता।" प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में

वादी दिनेश कुमार यादव के शपथपूर्वक बयान का परिशीलन किया जना समिचीन है। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य में आया है कि "सारी रात खोजबीन की, इसके बाद मैंने 14-05-12 को धनंजय से रिपोर्ट लिखा कर थाना मक्खनपुर में दी। रिपोर्ट धनंजय ने मेरे बोलने पर लिखी थी, जो मैंने बोला था वही लिखा था। फिर मैंने उस पर हस्ताक्षर किया था।" पी०डब्लू० 1 ने पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। वादी पी०डब्लू० 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कहा कि "मैंने जिस दिन मुकदमा लिखाया था, उसी दिन दिनांक 14-05-12 को मेरी भतीजी वन्दना की लाश नहर किनारे ग्राम दिखतौली के पास पटरी पर झाड़ियों में मिली। मेरी भतीजी की लाश की सूचना मुझे फोन द्वारा मिली थी। उस सूचना पर मैं अपने गाँव के काफी लोगों के साथ मौके पर गया। मैंने अपनी भतीजी का शव पहचान लिया था। मेरी भतीजी के शव का पंचनामा शिकोहाबाद पुलिस द्वारा भरा गया। मैं भी पंचायतनामा का गवाह बनाया गया। पंचायतनामा पर हस्ताक्षर किया था।"

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि "दिनांक 13/14-05-12 को रात के एक बजे तक तलाश करके लौटा था उससे पहले मैंने थाना मक्खनपुर गया था, उन्होंने कहा कि पहले उसको ढूँढो। दिनांक 13-05-12 को रात 08-09 बजे सूचना दी थी। उस दिन सूचना जुबानी दी थी। यह सूचना थाना कार्यालय में दी थी।" अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि "दिनांक 14-05-12 को लगभग 02.00 बजे दिन में पता चला कि मेरी भतीजी के लाश नहर पर मिली है। यह सूचना मुझे फोन पर फोन पर मिली थी। फोन करने वाले का नाम मुझे याद नहीं है। हम दिनांक 14-05-12 को मक्खनपुर क्षेत्र में खोजबीन कर रहे थे। तो फोन की सूचना पर नहर पर पहुंचे थे जब हम पहुंचे तो ग्राम दिखतौली के पास नहर के किनारे पटरी पर हमारी लड़की की लाश पड़ी थी। पुलिस वही पर मौजूद थी।" अग्रेतर पंचायतनामा को देखकर पी०डब्लू० 1 ने कहा कि "इस पर मेरे हस्ताक्षर राय पंचान पर हैं। मैं यह पंचायतनामा लिखे जाने तक लाश के पास मौजूद था। लाश सील करके मेरे सामने पोस्टमार्टम के लिए भेजी गयी थी। मैं लाश के साथ फिरोजाबाद आया था। जब लाख सील हो रही थी तब सी०ओ० साहब भी आ गये थे। उन्होंने लाश की पहचान मुझसे कराई थी। यह वही सी०ओ० साहब है जिन्होंने मेरा बयान लिखा था। मुकदमा लाश सील होने से आधा घण्टा पहले दर्ज हो गया था। मैंने 01.10 PM से आधा घण्टा पूर्व थाना मक्खनपुर में दर्ज कराया था और रिपोर्ट नकल ले ली थी। मैं नहीं बता सकता कि पुलिस ने थाना मक्खनपुर में रिपोर्ट दर्ज करने के समय 01.45

बजे कैसे लिख दिया। मैंने पंचायतनामा भरने वाले दरोगा जी को मक्खनपुर में दर्ज करायी रिपोर्ट की प्रति पंचायतनामा भरते समय दी थी, जो लाश के साथ भेजी गयी थी। यदि मक्खनपुर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 12.30 बजे दर्ज न कराई होती तो मैं उसकी प्रति पंचायतनामा भरने वाले अधिकारी को नहीं दे सकता था और न वह लाश के साथ जाती।" अग्रेतर कहा कि "मक्खनपुर थाना के एस०ओ० साहब लाश के साथ गये थे। एस०ओ० मक्खनपुर लाश के साथ अपनी गाड़ी से गये थे। उस समय प्रदर्श क-1 पर मैंने थाने पर हस्ताक्षर किये थे।"----- प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2 दोनों पर मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श क-2 पर मेरा नाम लिखा है। प्रदर्श क-2 मेरे हाथ की लिखी है। यह मैंने थाने में कब दी थी ध्यान नहीं है। किस तारीख को लिखी थी ध्यान नहीं है। प्रदर्श क-2 मैंने थाने में मुंशी को दिया था। पंचायतनामा में राय पंचान मेरी लिखी हुई नहीं है। उस पर मेरे हस्ताक्षर है। राय पंचान में यह नहीं लिखा है कि मृतका को दुष्यन्त लिवाकर ले गया था और उसे मार दिया हो। राय पंचान में दहेज का भी कोई जिक्र नहीं है।" दिनांक 22-10-2016 को वादी पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव से पुनः प्रति-परीक्षा की गयी। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने पुनः प्रति-परीक्षा में कहा "भानु उर्फ विमला वन्दना की ननद है। भानु से मेरी मुलाकात 5-6 बार हुई होगी। भानु से मेरी बात चीत होती थी। मैं भानु से जब मिलता था तब पूछता था बेटा तुम्हारा क्या हाल है, क्योंकि वह मेरी बेटी के बराबर थी। सोनी की शादी के समय भानु की उम्र 18-19 वर्ष रही होगी। वन्दना की शादी के समय 10-11 वर्ष की रही होगी। वन्दना की मृत्यु के समय सिरसागंज में पढ रही थी। बी०ए० या बी०एस०सी० कर रही थी। घटना के दूसरे दिन वह घर पर गाँव सैंदलपुर में मिली थी। 14-05-12 को वह मुझे घर पर मिली थी। 14-05-12 को अपने घर पर सुबह 10.00 बजे करीब मिली थी। मेरे साथ बृजेश, विपिन, मुनीश, अजमेर सिंह और अन्य लोग थे और उस समय मेरे साथ पुलिस भी थी। यह पुलिस मेरे साथ थाना मक्खनपुर की थी। उस समय चार-पाँच सिपाही और एक दरोगा मेरे साथ थे। घर पर भानु के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं था। भानु अपनी चाची के घर पर थी। उसके घर में ताला लगा हुआ था। मैंने भानु को बुलाकर पूछा। मैंने भानु से पुलिस से हटकर बात की थी। पुलिस के सामने बात नहीं की। मैं यह पूछ रहा था कि वन्दना कहां है, तेरे माता-पिता कहां है। लेकिन उससे कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने उस समय तक कोई रिपोर्ट नहीं की थी। इसलिए उस समय भानु को गिरफ्तार नहीं कराया। तब तक यह भी तय नहीं था कि किसे-किसे मुल्जिम बनाऊँगा। यह बात बाद में तय हुई कि किसको मुल्जिम बनाना है।

समय 01.45 बजे के आस-पास तय हुआ कि सभी ससुरालीजों को मुल्जिम बनाना है। रास्ते में बात-चीत करने में हम लोगों ने तय किया कि पूरे परिवार को मुल्जिम बनाना है। विपिन, बृजेश, डा० अजमेर सिंह और अन्य लोग थे। उनसे सलाह मशविरा करके तय हुआ कि पूरे परिवार को मुल्जिम बनाना है। फिर 01.45 बजे मैंने थाने में आकर रिपोर्ट की थी। मैंने 01.45 बजे रिपोर्ट लिखाई। उस समय तक मुझे लाश मिलने की जानकारी नहीं थी। समय 01.45 बजे ही मैं फोन पर लाश की सूचना मिलने पर तुरन्त लाश वाले स्थान को रिपोर्ट लिखाकर चल दिया। मैं दो-सवा दो बजे लाश वाले स्थान पर पहुंच गया था। उस समय तक लाश खुली हुई थी। लाश सील होने में मेरे सामने 10-15 मिनट लगे होंगे। यह पक्का है कि मैं 01.10 मिनट पर मैं लाश के पास नहीं था। यह भी पक्का है मैं लाश के पास दो-सवा दो बजे पहुँचा था। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर हुए थे। मुझे नहीं पता कि पंचायतनामा पर 01.10 मिनट का दोपहर का कैसे डाला। मैंने गलत समय डालने का विरोध पुलिस से किया था, लेकिन वो माने नहीं। राय पंचान अंकित की गयी। मैंने राय पंचान में लिखाया था कि दहेज की मांग के कारण दुष्यन्त ने ले जाकर हत्या की। मैंने दुष्यन्त के अलावा अन्य लोगों के नाम बोले थे। लेकिन मैंने नहीं पढा कि किसका नाम लिखा था या नहीं लिखा हो। यदि राय पंचान में न किसी मुल्जिम का नाम लिखा हो न दहेज हत्या के बारे में लिखा हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।"

उपरिवर्णित साक्ष्यों के आलोक में यह बात स्पष्ट है कि दिनांक 13-05-12 को वादी पी०डब्लू० 1 के कथनानुसार अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ पिंकू दोपहर के समय मृतका वन्दना के मायके ग्राम जेवड़ा मोटरसाइकिल से आया था और कथित रूप से मृतका का मेडिकल चेकअप कराने के बहाने ले गया था। सांय अभियुक्त ने फोन करके बताया कि मृतका वन्दना को टैम्पों से ग्राम जेवड़ा के लिए भेज दिया गया है। सांयकाल 07.30 बजे उक्त फोन कथित रूप से आया। इस आशय का कथन वादी पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव, पी०डब्लू० 2 श्रीमती कौशल एवं पी०डब्लू० 3 एहवेश कुमार ने अपने बयानों में किया है, किन्तु किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया है कि अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ पिंकू किस कंपनी का मोबाइल नम्बर प्रयोग में लाता था और दिनांक 13-05-2012 को किसके मोबाइल पर सूचना दी थी। इस आशय का न तो कोई मौखिक साक्ष्य है और ना ही कोई काल डिटेल प्रस्तुत की गयी। पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव ने पी०डब्लू० 2 श्रीमती कौशल पत्नी दिनेश कुमार यादव ने अपने साक्ष्यों में कहा कि जब मृतका वन्दना लौटकर नहीं आई तब उसकी तलाश की गयी और रात 02.00 बजे तक

तलाश की जाती रही। पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव 13-05-2012 को थाना मक्खनपुर में सूचना देने की बात कही है और मृतका वन्दना के पिता एहवेश कुमार पी०डब्लू० 3 ने रात 8-9 बजे मृतका के गुम होने का कथन किया है और यह कहा कि भाई दिनेश कुमार यादव ने थाने पर सूचना दे दी थी, किन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी का० क्लर्क HCP मनोज कुमार दीक्षित ने स्पष्ट रूप से कहा कि थाना मक्खनपुर पर 13-05-12 को वादी द्वारा मृतका की गुमशुदा होने की कोई सूचना नहीं दी गयी है। अग्रेतर यह भी ध्यान दियेजाने योग्य है कि वादी के साक्ष्य में आया है कि वह कथित रूप से दिनांक 14-05-12 को अभियुक्तगण के निवास स्थान ग्राम सैदलपुर प्रातः 10.00 बजे गया था, जहाँ पर अभियुक्त की बहन भानु उर्फ विमला मिली। कथित रूप से थाना मक्खनपुर के दरोगा और पुलिस भी साथ में थे। वादी के अन्य साथी/सहयोगी विपिन, मुनीश, डा० अजमेर सिंह आदि थे। लौटते समय रास्ते में आपस में विचार विमर्श करके तय हुआ कि किस-किस व्यक्ति को मुल्जिम बनाना है। विचार-विमर्श के बाद तय हुआ था कि अभियुक्तगण के सम्पूर्ण परिवार को मुल्जिम बनाना है। वादी 01.45 पर थाना मक्खनपुर पर पहुंचा। जहाँ पर उसकी लिखित तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। वह थाने पर लगभग आधा घण्टा रुका था। इस आशय का कथन पी०डब्लू० 1 ने किया और HCP मनोज कुमार दीक्षित और प्रथम विवेचक पी०डब्लू० 8 ने भी किया है, अर्थात् लगभग 02.15 बजे वादी की उपस्थिति थाना मक्खनपुर पर थी, जबकि पंचायतनामा प्रदर्श क-8 में भी वादी दिनेश कुमार यादव (पी०डब्लू० 1) पंच के रूप में गवाह और उसपर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने इस बात को शपथपूर्वक कहा कि वह निश्चित रूप से 01.10 मिनट तक लाश के पास था और लाश सील होने तथा उसे पोस्टमार्टम तक भेजे जाने तक वह साथ में पोस्टमार्टम कराने के लिए फिरोजाबाद गया था। पंचायतनामा प्रदर्श क-8 में पंचनामा सम्पादित किये जाने का समय 01.10 PM से लेकर 02.40 PM अंकित है। यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि वादी 01.45 से लेकर 02.15 तक थाना मक्खनपुर पर उपस्थित था तब उस परिस्थिति में उसकी उपस्थिति बतौर गवाह कैसे अंकित हो गयी। का० क्लर्क पी०डब्लू० 4 के साक्ष्य में यह भी आया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने तक लाश के मिलने की कोई भी सूचना न तो किसी थाना पुलिस द्वारा दी गयी और ना ही वादी के द्वारा दी गयी। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने तक लाश की बरामदगी नहीं हुई थी। पंचायतनामा में मु०अ०सं० और कतिपय धाराएँ भी अंकित हैं। वादी ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह कहा

कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति लेकर वह नहर के पास बरामदगी लाश के पास गया और पंचायत सम्पादित करने वाले को दी थी। उल्लेखनीय है कि पंचनामा के साथ किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति का कोई संलग्न नहीं है न कोई उसका उल्लेख है। इसका अर्थ यह हुआ कि पंचनामा सम्पादित करते समय तक कोई भी रिपोर्ट अंकित नहीं थी। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक ने इस सम्बन्ध में असमर्थता जताई कि वह इस विरोधाभास को स्पष्ट करने में असमर्थ है, या तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का समय गलत है या फिर पंचायतनामा के निष्पादन का समय गलत है। अग्रेतर यह भी उल्लेखनीय है कि मृतका वन्दना की लाश कथित रूप से ग्राम दिखतौली के निकट स्थित नहर के किनारे मिली थी जो थाना क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत आता है। शव बरामद होने की सूचना ग्राम दिखतौली के ग्राम प्रधान थान सिंह पुत्र स्व० होरीलाल बघेल द्वारा थाना शिकोहाबाद की दी गयी। जो पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० 8 अ/7 है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में शव देखे जाने का कोई समय अंकित नहीं है। उक्त लिखित सूचना के बाबत थाना शिकोहाबाद में अंकित रोजनामचाआम की कार्बन प्रतुि संलग्न की गयी जो कागज सं० 8 अ/8 है, किन्तु उस पर किसी नकल रपट का अंकन नहीं है। उक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त पंचायतनामा निष्पादित करने के लिए उपनिरीक्षक मौ० आबिद खाँ पी०डब्लू० 7 को नामित किया गया। जिनके शपथपूर्वक बयान में आया है कि ग्राम प्रधान दिखतौली की सूचना के उपरान्त हमराह सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहाँ पर काफी लोगों की भीड़ थी और मृतका के परिवारीजन भी थे। यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि थाना शिकोहाबाद पुलिस को कैसे जानकारी थी कि नहर पटरी के किनारे बरामद लाश वादी की भतीजी मृतका वन्दना की थी। वादी पी०डब्लू० 1 को किस आधार पर सूचना दी गयी कि वह लाश वन्दना की है। इसके अतिरिक्त थाना पुलिस शिकोहाबाद द्वारा थाना मक्खनपुर को कोई सूचना नहीं निर्गत की गयी। इससे लाश बरामदगी पर वादी पी०डब्लू० 1 द्वारा लाश पहचानने का कथन पूर्णतः संदिग्ध हो जाता है। अग्रेतर यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाबत दी गयी तहरीर स्वयं नहीं लिखा था, अपितु उक्त तहरीर धनंजय द्वारा लिखी गयी, जबकि वह स्वयं कक्षा 12 तक पढा-लिखा है। वादी के साक्ष्यों में यह भी आया है कि दिनांक 14-05-12 को ग्राम सैंदलपुर से लौटते समय विचार-विमर्श के उपरान्त पाया गया कि अभियुक्तगण के समस्त परिवार वालों का अभियुक्तगण के रूप में नामित करना है। इस प्रकार उपरिवर्णित साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संदिग्ध परिस्थितियों में

पंजीकृत करायी गयी। तहरीर प्रदर्श क-1 विचार-विमर्श के उपरान्त थाने पर दी गयी। वादी पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव की उपस्थिति एक ही समय दो स्थानों पर होना कदापि संभव नहीं है। वस्तुतः पंचायत सम्पादित किये जाने क समय तक प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्तित्व में नहीं थी। सुनियोजित ढंग से प्रथम सूचना रिपोर्ट और पंचायतनामा का समय आस-पास रखा गया। पंचायतनामा सम्पादित करने वाले उपनिरीक्षक मौ० आबिद ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि वादी पी०डब्लू० 1 दिनेश को शव पंचनामा की सूचना किस माध्यम से दी गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विधिवत राय मशविरा के उपरान्त पंजीकृत करायी गयी, जो अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता को क्षीण करने वाला तथ्य है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर मृतका वन्दना की दहेज हत्या करने का भी आरोप लगाया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 1860 की धारा 304 बी में दहेज हत्या को परिभाषित किया गया है कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा हो जाती है और यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी मृत्यु के तुरन्त पूर्व उसको पति ने या पति के किसी नातेदार ने दहेज की मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, ऐसी मृत्यु हो 'दहेज मृत्यु' कहा जायेगा और पति या उसके नातेदार ऐसा करने वाला समझा जायेगा। 'दहेज' का अर्थ वही होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 1961 में परिभाषित है। इसी से सम्बन्धित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B में किया गया है। धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 172 के अनुसार जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह प्रस्तुत किया कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में परेशान किया था अथवा उसके सम्बन्ध में परेशान किया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया हो, न्यायालय यह अवधारणा करेगी कि ऐसा व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण था।

धारा 498A भा०दं०सं० के अनुसार- "जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इस धारा के प्रावधान को लिए 'क्रूरता' से अभिप्रेत है, जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्म हत्या करने के लिए प्रेरित करने का या उस स्त्री के जीवन, अंग या

स्वास्थ्य को जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक गंभीर क्षति कारित करने की संभावना या किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन प्रथमतः यह साबित करे कि दहेज के लिए प्रपीड़ित या तंग किया गया। इस सम्बन्ध में तहरीर प्रदर्श क-1 का अवलोकन किया जाना समिचीन है। तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार मृतका वन्दना की शादी दिनांक 20-04-2006 को दुष्यन्त पुत्र देवेन्द्र कुमार, निवासी- ग्राम सैंदलपुर, थाना सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद के साथ हुई थी। सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर लगभग दस लाख रुपये खर्च किया था। शादी के बाद से मृतका के पति दुष्यन्त, ससुर देवेन्द्र कुमार, सास श्रीमती सुभाषा देवी, ननद भानु, पप्पन व सोनी पुत्री देवेन्द्र सिंह तथा देवर दीपक उर्फ दीप, नदोई अंकित यादव व विकास यादव अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये मांग को लेकर अक्सर उत्पीड़न करते थे, कई बार मृतका ने परिवार वालों को बताया। परिवारवालों ने कई बार ससुरालीजन को समझाया लेकिन वह नहीं माने। लगातार अतिरिक्त दहेज की माँग कर उत्पीड़न करते रहे। मृतका की ननद की शादी से पूर्व परिजनों ने तीन लाख रुपये भी दिये थे। लेकिन उनका उत्पीड़न बरकरार बना रहा। उल्लेखनीय है कि वादी पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव मृतका के सगे चाचा हैं, जिन्हें अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित किया गया है। अपनी मुख्य परीक्षा में उपरोक्त बाते दोहराई। प्रति-परीक्षा में इस साक्षी के साक्ष्य में आया है कि अभियुक्त देवेन्द्र के दो लड़के दुष्यन्त और दीपक हैं तथा तीन पुत्रियां हैं। सबसे बड़ी लड़की की शादी मृतका की शादी से पहले हो गयी थी। संध्या की शादी जनवरी 2012 में हुई थी। शादी के बाद पप्पन व सोनी ससुराल चली गयी और कभी-कभी मायके घूमने आती थी। पी०डब्लू० 1 ने एक महत्वपूर्ण कथन यह किया है कि सम्बन्धों के कारण पी०डब्लू० 1 सोनी की शादी में शामिल हुए थे। उनके अतिरिक्त मृतका वन्दना के पिता एहवेश व सभी परिवारीजन शामिल हुए थे। वादी व उसके परिवारीजन को इज्जत से बुलाया था इसलिए शादी में शामिल हुए थे। पी०डब्लू० 1 ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा कि अभियुक्तगण और वादी के मध्य 2-3 बार पंचायत भी की गयी थी, किन्तु पंचायत मौखिक रूप से हुई थी उसकी कोई लिखा-पढी नहीं की गयी थी। पंचायत 2-3 बार हुई थी। 1-2 बार वन्दना की ससुराल में हुई और एक आध बार वन्दना के

मायके में हुई थी। पंचायत के बाद भी मृतका अपने मायके 4-5 बार आयी-गयी। पंचायत के बाद भी कोई रिपोर्ट थाने में नहीं करायी गयी। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य में यह भी आया है कि वादी मृतका के पिता व अन्य सभी लोग मृतका की ननद की शादी में शामिल हुए थे, उस समय वन्दना ससुराल में थी। ननद की शादी के 15-20 दिन तक वन्दना ससुराल में रही और उसके बाद मायके आ गयी। वन्दना की शादी के समय ननद सोनी की आयु 10-11 वर्ष रही होगी। पी०डब्लू० 1 को किसी भी पंचायत की तिथि याद नहीं है, उसकी कोई लिखा-पढी नहीं हुई। पंचायत सम्पन्न होने की कोई तिथि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। यद्यपि विवेचक को यह बात बतायी गयी थी, किन्तु धारा 161 द०प्र०सं० के बयान में इस प्रकार का कोई कथन नहीं है कि कोई पंचायत हुई थी। अभियोजन साक्षी श्रीमती कौशल पी०डब्लू० 2 वादी की पत्नी हैं और मृतका वन्दना की सगी चाची हैं। पी०डब्लू० 2 ने दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में यह कहा कि अभियुक्तगण अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की मांग करते थे। मृतका ने कई बार शिकायत कि, अभियुक्तगण व उसके परिवार वालों को कई बार समझाया गया लेकिन वह नहीं माने। पी०डब्लू० 2 ने प्रति-परीक्षा में कहा कि कभी भी कोई पंचायत नहीं पड़ी ना ही कोई रिपोर्ट लिखाई गयी। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्यों से यह बात स्पष्ट है कि कथित पंचायत में केवल परिवार के सदस्य थे। किसी नात, रिश्तेदार या सम्भ्रान्त रिश्तेदार के शामिल होने का प्रमाण नहीं है। पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 द्वारा पंचायत के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी कथन किये गये हैं। पी०डब्लू० 3 एहवेश कुमार यादव मृतका वन्दना के पिता हैं। अपनी मुख्य परीक्षा में उन्हीं बातों को दोहराया जिन बातों का कथन वादी दिनेश कुमार यादव पी०डब्लू० 1 और उनकी पत्नी ने किया है। दूसरे शब्दों में पी०डब्लू० 3 ने अपने साक्ष्यों में कहा कि वन्दना की शादी दुष्यन्त के साथ 20-04-2006 को हुई थी। दान दहेज में कुल 10 लाख खर्च किये गये। उसके ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की मांग और इसी कारण वन्दना को परेशान करते थे। वन्दना मायके आकर यह बातें बताती थी, किन्तु ससुराल वाले नहीं माने। मृतका के पिता एहवेश कुमार पी०डब्लू० 3 ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि शादी के 5-6 महीने बात जानकारी हुई थी। पुत्री से दहेज की मांग होती थी। दहेज की मांग के बाद भी वन्दना 5-6 साल जीवित रही। इस अवधि में मेरी पुत्री मायके आती-जाती थी। इस अवधि में दहेज की माँग या प्रताड़ित किया जाने के सम्बन्ध में कभी कोई शिकायत नहीं की और न कभी कोई रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ी। अग्रेतर यह भी कहा कि पुत्री से दहेज माँगने व उत्पीड़न की बात परिवारीजन

व मौहल्ले वाले से की थी, किन्तु अभियुक्तगण के मौहल्ले वालों से इस बात की शिकायत नहीं की न कोई बात बतायी। पी०डब्लू० 3 के साक्ष्यों में यह भी आया है कि मृत्यु से पहले जिस अवधि में मृतका मायके रही उस अवधि तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया। हमने कानूनी कार्यवाही की जरूरत नहीं समझी। पी०डब्लू० 3 ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि यह बयान भाई व परिवारीजन के बताने के आधार पर न्यायालय में दिया है। अभियोजन साक्ष्यों के बयानों से यह बात स्पष्ट है कि प्रथम बार वादी दिनेश कुमार पी०डब्लू० 1 ने अपनी तहरीर में यह उल्लेख किया है कि अभियुक्तगण अतिरिक्त दहेज के रूप में तीन लाख रुपये की माँग करते थे। इस बाबत अभियुक्तगण के परिवार वालों को समझाया गया किन्तु वह नहीं माने। पंचायत भी सम्पन्न कराई गयी। किसी भी पंचायत के सम्पन्न होने की तिथि या दिवस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आस-पड़ोस व नात-रिश्तेदारों को इस बाबत साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया कि अभियुक्तगण के परिवार वाले व वादी पक्ष में कभी कोई पंचायत हुई। कथित पंचायत होने के बाद भी मृतका मायके से ससुराल और ससुराल से मायके आती-जाती रही है। कभी कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी। किसी सक्षम अधिकारी से कोई शिकायत नहीं की गयी और ना ही कोई मुकदमा पंजीकृत कराया। कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गयी। मृतका वन्दना के ननदों की शादी समारोह में वादी व अन्य परिवारीजन सम्मिलित हुए और उन्हें इज्जत से बुलाया गया था। वादी पक्ष की ओर से दहेज प्रताड़ना सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिकायत व कार्यवाही न किया जाना अथवा कोई विधिक कार्यवाही अमल में न लाया जाना, सम्पन्न शादी समारोह में शामिल होना, किसी नात-रिश्तेदार, पास-पड़ोस के किसी व्यक्ति को इस तथ्य की पुष्टि के लिए साक्षी के रूप में पेश न किया जाना यह इंगित करता है कि दहेज की माँग का आरोप मात्र आरोप है। दहेज प्रताड़ना का आरोप सरसरी तौर पर लगाया गया। दहेज माँग के लिए कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। मात्र प्रताड़ना कह देने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होगा कि मृतका वन्दना के साथ दहेज उत्पीड़न किया गया हो। कथित रूप से विवाह 2006 में सम्पन्न होने के उपरान्त 5-6 वर्षों तक जीवित रही और मायके आती-जाती रही जो इस बात का संकेत है कि मृतका और अभियुक्तगण के परिवारीजन के मध्य पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य थे और किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना और दहेज की माँग किये जाने का तथ्य साक्ष्यों से पुष्टि नहीं होता है। दहेज की प्रताड़ना किस प्रकार की गयी इसका भी कोई विवरण नहीं है। क्या मृतका को कभी मारापीटा

अथवा उसे भोजन, पानी अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं से वंचित किया गया, इसका कोई विवरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है।

पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार के साक्ष्य में आया है कि मृतका वन्दना की शादी में तीन लाख रुपये दिये गये, किन्तु तीन लाख रुपये दिये जाने का कोई प्रमाण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया। उक्त पैसे की व्यवस्था कब और किसने की थी और उक्त पैसे को किस तिथि को किसके समक्ष और किसको दिया गया, इसलिए तीन लाख रुपये दिया जाना साबित नहीं है। दहेज हत्या के सम्बन्ध में अभियोजन को यह भी साबित करना आवश्यक है कि मृतका वन्दना की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा विवाह के सात वर्षों के भीतर आसामान्य परिस्थितियों में हुई। इस बाबत विवाह के तिथि एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे सिद्ध करने का बार अभियोजन पर है। पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि मृतका की शादी 20-04-2006 को अभियुक्त दुष्यन्त के साथ हुई थी। इसी आशय का कथन मृतका के पिता पी०डब्लू० 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में किया है। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्यों के अनुसार मृतका की शादी के सम्बन्ध में कार्ड भी छपवाये गये थे और उक्त कार्ड को विवेचक को दिया गया था। विवेचक पी०डब्लू० 6 सुभाषचन्द्र शाक्य ने इस बात से इंकार किया कि उन्हें शादी का कोई कार्ड दिया गया। विवेचक पी०डब्लू० 6 ने इस सम्बन्ध में कहा कि यह मुकदमा मृतका के चाचा दिनेश यादव द्वारा लिखाया गया। उन्होंने शादी की तारीख 20-04-2006 लिखायी थी और बयान में भी यही तारीख लिखायी थी। इस सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दिया था। सामाजिक पंचायत की कोई बात नहीं बतायी थी। शादी दिनांक 20-04-2006 को को बतायी थी। पीड़िता के पिता या परिवारीजन ने कोई शिकायत पुलिस/न्यायालय में दर्ज नहीं करायी थी। पी०डब्लू० 1 दिनेश ने विवाह के सम्बन्ध में घरेलू सामान यथा कपड़े, फ्रिज, बर्तन आदि खरीदने का कथन किया है, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी रसीद नहीं दिखा सका और हलवाई, टेण्ट करने का भी कथन किया है, किन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई रसीद प्रस्तुत नहीं कर सका है। शादी का सी०ओ० को देने का कथन और रिपोर्ट लिखाने के समय भी किया, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ कोई भी शादी का कार्ड संलग्न नहीं है। शादी का कार्ड पालीवाल प्रेस में छपवाया गया था, उसकी भी कोई रसीद नहीं है। विवाह की तिथि के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा श्री चन्द्रशेखर डी०डब्लू० 1 के रूप परीक्षित किया गया है। यह साक्षी अभियुक्तगण की ओर से पुरोहित के रूप में सम्मिलित हुआ था। डी०डब्लू० 1 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि मैंने दुष्यन्त की शादी

करायी थी। शादी दिनांक 20-04-2005 को सम्पन्न हुई थी तथा दुष्यन्त के परिवार का 1989 से पुरोहित हूँ और पण्डिताई करता हूँ। यद्यपि प्रति-परीक्षा में कहा कि शादी की तिथि के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं है। इसी आशय का बयान डी०डब्लू० 2 लक्ष्मी देवी ने किया है जो दुष्यन्त के मकान के पास निवासरत हैं। उन्होंने भी अपने साक्ष्य में कहा कि दुष्यन्त की शादी 20-04-2005 में हुई थी। डी०डब्लू० 1 से इस सम्बन्ध में सुझाव भी दिया गया कि मृतका वन्दना की शादी 20-04-2006 को हुई, किन्तु इस सुझाव से इंकार किया है। मृतका के पिता पी०डब्लू० 3 ने भी की तिथि को प्रमाणित करने के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य यथा कार्ड, रसीद प्रस्तुत करने में असमर्थता जताई और कहा कि दौरान विवेचना सी०ओ० साहब को खरीददारी की रसीदे नहीं दी थी, जिससे शादी 2006 की स्थापित हो सके। पी०डब्लू० 3 ने भी 20-04-2005 को शादी सम्पन्न होने के तथ्य से इंकार किया है। मात्र मौखिक कथन से विवाह सम्पन्न होने की तिथि सिद्ध नहीं मानी जा सकती है। जब तक कि उसके सम्बन्ध में अन्य कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न कर दिया जाये। मृतका की मृत्यु कथित रूप से दिनांक 13-05-2012 को हुई। यदि कुछ क्षण के लिए यह मान भी लिया जाये कि मृतका की शादी 20-04-2005 हुई तब भी मृतका की मृत्यु 07 वर्ष 24 दिन के पश्चात हुई है और दूसरे शब्दों में विवाह के सात वर्षों के भीतर नहीं हुई है। पी०डब्लू० 2 श्रीमती कौशल जो मृतका की सगी चाची हैं, के साक्ष्यों में आया है कि जेठ एहवेश की पुत्री की शादी घटना से लगभग 06 वर्ष पहले दुष्यन्त उर्फ पिन्कू के साथ हुई थी। प्रति-परीक्षा में कहा कि सन् 2005 में हुई थी। शादी राजी खुशी से हुई थी। उक्त बयान से भी बचाव पक्ष का यह तर्क पुष्ट होता है कि मृतका और दुष्यन्त की शादी वर्ष 2005 में सम्पन्न हुई थी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना से लगभग चार माह पहले से मृतका वन्दना मायके में रह रही थी। दिनांक 13-05-12 को कथित रूप से अभियुक्तगण दुष्यन्त ग्राम जेवड़ा आया और कहा कि मृतका वन्दना छह माह के गर्भ से है उसका चेकअप कराना है। वन्दना को साथ भेजने के लिए कहा। पी०डब्लू० 1 के अनुसार उसने अपनी भतीजी को दुष्यन्त के साथ भेज दिया। उसी दिन शाम को 07.30 बजे दुष्यन्त उर्फ पिन्कू का फोन आया और कहा कि वन्दना को जेवड़ा तिरहा मक्खनपुर से ग्राम जेवड़ा के लिए टैम्पू से भेज दिया है। जब मृतका घर नहीं पहुँची तो वादी पी०डब्लू० 1 और परिवारीजन ने कस्बा मक्खनपुर में देखा, फिर सैंदलपुर गांव गये जहाँ पर मृतका वन्दना और उसके ससुरालीजन उपस्थित नहीं

मिले। घर पर ताला लगा था। तत्पश्चात पी०डब्लू० 1 ने देवेन्द्र, दुष्यन्त तथा वन्दना के मोबाइल पर फोन किया, किन्तु सभी के मोबाइल बन्द जा रहे थे। सारी रात खोजबीन की उसके बाद 14-05-12 को थाना मक्खनपुर पर मुकदमा तहरीर के आधार पर पंजीकृत कराया। वादी ने अपनी तहरीर में और न बयान में अभियुक्तग दुष्यन्त के किसी मोबाइल नम्बर का उल्लेख किया और न यह स्पष्ट किया कि कथित रूप से दुष्यन्त का फोन किसके मोबाइल पर आया था। अग्रेतर यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि न तो वन्दना के मोबाइल नम्बर का उल्लेख किया और ना ही देवेन्द्र के किसी मोबाइल नम्बर का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में विवेचक कोई काल डिटेल संकलित नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि दिनांक 13-05-12 को अपराह्न में अभियुक्त दुष्यन्त ग्राम जेवड़ा गया। जिस समय कथित रूप से अभियुक्त दुष्यन्त ग्राम जेवड़ा गया उस समय पी०डब्लू० 1 दिनेश ने कहा कि मैं घर पर था और मृतका वन्दना को दुष्यन्त के साथ जाने के लिए अनुमति दे दी, किन्तु प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि मैं उस समय घर पर नहीं था। जिस समय मृतका वन्दना को अभियुक्त दुष्यन्त अपने साथ ले गया था। प्रथम बार प्रति-परीक्षा में कहा कि जिस समय मृतका घर से गयी उस समय उसकी चाची व दादी घर पर मौजूद थी। पी०डब्लू० 2 श्रीमती कौशल ने अपने साक्ष्य में कहा कि दिनांक 13-05-12 को अभियुक्त दुष्यन्त ग्राम जेवड़ा आया था और मृतका वन्दना को छह माह की गर्भवती कहकर चेकअप कराने के बहाने से ले गये था। उस दिन दुष्यन्त का फोन आया कि उसने वन्दना को जेवड़ा तिराहे पर टैम्पू से भेज दिया। इसी साक्षी ने भी किसी मोबाइल नम्बर का उल्लेख नहीं किया है। पी०डब्लू० 2 श्रीमती कौशल ने भी कहा कि करीब चार माह से मृतका अपने मायके में हमारे यहाँ रहती थी। 13 तारीख को वन्दना का पति दुष्यन्त आया था। दोपहर के समय आया था और साथ भेजने के लिए कहा। वन्दना को दुष्यन्त के साथ भेजने का भी कथन किया है। अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि वन्दना को पूर्व में एक बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन वह मर गया था और उस बच्चे को मार दिया गया, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं की गयी थी। दोबारा गर्भवती होने के बात भतीजी घर आ गयी थी और यह भी बताया था कि बच्चा अपने मायके में करना चाहती थी। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 2 को कोई आपत्ति नहीं थी। वन्दना को किसी दाई को नहीं दिखाया था। अग्रेतर यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि दामाद को कोई रोटी आदि नहीं खिलाई गयी और कोई सेवा सत्कार नहीं की गयी। दुष्यन्त दो घण्टे तक रुका। 12-01 बजे दोपहर तक आया था। पी०डब्लू० 1 दिनेश वादी की

प्रति-परीक्षा में आया है कि उसके गाँव की आबादी 5-6 हजार है। पड़ोस में पप्पू ओमप्रकाश, लाले आदि के घर हैं। इन पड़ोसियों ने मृतका को अभियुक्त दुष्यन्त के साथ जाते हुए देखा था। उल्लेखनीय है कि आस-पड़ोस के किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में परीक्षित नहीं किया गया है। जिससे यह साबित हो सके कि दिनांक 13-05-12 को अभियुक्त दुष्यन्त मृतका को लेने गया हो। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्यों के अनुसार "दुष्यन्त करीब 01.30 बजे दोपहर मेरे घर पर आया था। गर्मी के दिन थे, धूप तेज पड़ रही थी। मैंने अपने दामाद दुष्यन्त से नहीं कहा था कि थोड़ी देर आराम कर लो और ना ही दुष्यन्त को खाना खिलाया था। अग्रेतर यह भी कहा कि वह वन्दना, दुष्यन्त के साथ जाने के लिए तैयार हो गयी थी। करीब दो बजे मृतका दुष्यन्त के साथ चली गयी थी। पी०डब्लू० 1 यह बताने में असमर्थ रहा कि दुष्यन्त किस मोटरसाइकिल से गया था। दामाद को ससुराल में सामान्यता: आदर सत्कार दिया जाता है, किन्तु प्रस्तुत मामले में साक्ष्यों से यह बात स्पष्ट है कि कथित रूप से दुष्यन्त को न तो भोजन दिया गया और ना ही उसे अन्य किसी प्रकार से सम्मानित किया गया। यह आसामान्य आचरण है। ग्राम जेवड़ा के पड़ोसियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में न तो कोई मौखिक साक्ष्य है और ना ही विवेचक द्वारा ऐसी कोई काल डिटेल प्रस्तुत की गयी। जिससे 13-05-12 को अभियुक्त की उपस्थिति ग्राम जेवड़ा में साबित हो सके। पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव ने प्रथम बार अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि "वन्दना को सोनी की शादी के बाद पहने हुए कपड़ों में निकाल दिया था, मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखाया था। सोनी की शादी के बाद दुष्यन्त ने वन्दना को निकाल दिया था। यह सही है कि तहरीर में यह बात नहीं लिखी है।" अग्रेतर यह भी कहा कि मैंने बयान में अगर सी०ओ० साहब को यह नहीं लिखाया था कि चार माह पूर्व सोनी की शादी के बाद भतीजी को दुष्यन्त ने निकला दिया था तो इसकी मैं वजह नहीं बता सकता हूँ। यदि कुछ क्षण के लिए यह बात मान भी ली जाये कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था तो उस स्थिति में अभियुक्त दुष्यन्त का अपनी ससुराल जाना कदापि संभव नहीं होता है। यदि सम्बन्ध इतने कटु थे तो उस स्थिति में ससुराल जाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। अभियोजन साक्ष्यों में यह भी आया है कि जब मृतका को पहला बच्चा हुआ था, उस बच्चे का स्वर्गवास हो गया था। वन्दना दोबारा गर्भवती होने पर उसकी ससुराल वालों ने दिखाया था। पी०डब्लू० 1 ने कहा कि मैंने नहीं दिखाया था। अग्रेतर कहा कि जब चार महीने पूर्व मृतका गर्भवती अवस्था में मेरे यहाँ रही तो मैंने उसे किसी डाक्टर को नहीं दिखाया था। घटना वाले दिन दुष्यन्त से यह भी नहीं

पूछा था कि उसे किसी डाक्टर को दिखाना है। पहले बच्चे का प्रसव अभियुक्तगण के घर पर हुआ था। अभियोजन साक्ष्यों के अनुसार डा० अजमेर सिंह व प्रमोद पी०डब्लू० 1 के साथ दिनांक 13-05-2012 को वन्दना की तलाश में गये थे और उन्हीं लोगों ने बताया था कि पति के साथ जाते हुए देखा है। पी०डब्लू० 1 ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह बात उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखाई है। ड० अजमेर व प्रमोद को परीक्षित नहीं करवाया है। यह तथ्य सिद्ध नहीं हो सका है कि उन्होंने वन्दना को अभियुक्त के साथ जाते देखा हो। पी०डब्लू० 3 मृतका के सगे पिता हैं, उन्होंने अपने शपथपूर्वक बयान में यह कहा कि घटना से करीब चार माह पहले वन्दना मायके में रह रही थी। प्रति-परीक्षा में यह कहा कि पुत्री से मृत्यु से चार माह पूर्व मेरी मुलाकात हुई थी। गांव में हुई थी उस समय पुत्री गर्भवती थी। उस समय उसको डेढ-दो माह का गर्भ था। उसका चेकअप मक्खनपुर में मेरे भाई ने करवाया था, मैंने नहीं करवाया था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मेरी पुत्री उसी डाक्टर के इलाज में चल रही थी या नहीं, जिससे चेकअप मेरे भाई ने कराया था। मेरे भाई ने पूछने पर बताया था कि डाक्टर के इलाज में चल रही है। जिससे मैंने चेकअप कराया था। उल्लेखनीय है कि मृतका के गर्भ सम्बन्धी उपचार का कोई भी अभिलेख अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी ने मृतका का गर्भ सम्बन्धी उपचार नहीं कराया। चाची ने भी किसी दाई आदि से चेकअप नहीं कराया। इससे भी यह बात संदेहास्पद हो जाती है कि दिनांक 13-05-12 को अभियुक्त मृतका को ले गया हो।

स्वीकारक रूप से मृतका वन्दना मृत्यु से लगभग चार माह पूर्व से मायके में निवासरत थी। उसका शव ग्राम दिखतौली थाना शिकोहाबाद के अन्तर्गत कथित रूप से दिनांक 14-05-12 को बरामद हुआ था। शव बरामदगी के उपरान्त मृतका के शव का पंचनामा दिनांक 14-05-12 को समय 01.10 से लेकर 02.40 के मध्य हुआ था। मृतका के शव की बरामदगी थान सिंह नामक व्यक्ति द्वारा थाना शिकोहाबाद पर दी गयी। उक्त पंचनामा में यह बात उल्लिखित है कि ग्राम पंचायत दिखतौली द्वारा सूचना दी गयी। नहर पटरी पर लाश की बरामदगी हुई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी और मृतका के परिवारीजन उपस्थित हो गये थे और कथित रूप से पहचान दिनेश पी०डब्लू० 1 द्वारा की गयी। मृतका का शव बांयी करवट पड़ा था। पंचों की राय में नीला पड़ गया था। खून एवं झाग आ रहा था। गले में धानी रंग का टुपट्टे से गर्दन में फसरी लगी थी। फसरी का निशान सा बना हुआ था। मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी। गले में

सामने फसरी जैसा निशान था। नाक से खून आ रहा था। हाथ-पैर जगह-जगह नीले पड़े थे। सलवार, कुर्ता, ब्रा, सफेद चड्डी, दोनों हाथों में तीन-तीन चूड़ियां पायी गयी। कान में पीली धातु का कुण्डल, तर्जनी में पीली धातु पायी गयी। पंचों की राय में मृतका की मृत्यु गले में फसरी लगाने और जहर खिलाने से होना प्रतीत हुई। **मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्शक-5 है। उक्त रिपोर्ट डा० आर०ए० शर्मा एवं एक अन्य डाक्टर के सहयोग से तैयार की गयी।** मृतका के शरीर पर कन्ट्रयजन 5cmX2cm गर्दन के बांयी तरफ पायी गयी और कन्टीयूजन 4cmX2cm थोड़ी के नीचे पायी गयी। **मृत्यु का कारण नहीं पता चल सका और इस कारण विसरा सुरक्षित रखा गया।** विसरा रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं० 153 अ है। स्टमक, आँत का टुकड़ा, लीवर, पित्ताशय, किडनी और स्पलीन में एल्युमीयम फास्फाइड विष पाया गया। **डा० आर०ए० शर्मा को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 5** के रूप में परीक्षित किया गया। डा० द्वारा दिनांक 14-05-12 को मसय 08.15 शाम पोस्टमार्टम किया गया और वीडियोग्राफी भी करायी गयी। दो डाक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। वाह्य परीक्षण में मृतका अच्छी कद, काठी की पायी गयी। शरीर की अकड़न गर्दन से पास थी। लोवर बाडी में उपस्थित थी। पेट फूला था, रंगीन था। बैंगनी चकट्टे शरीर पर मौजूद थे। शरीर फूला हुआ था। कन्ट्रयजन 5cmX2cm गर्दन के बांयी तरफ पायी गयी और कन्टीयूजन 4cmX2cm थोड़ी के नीचे पायी गयी। गर्भासय में गर्भ मौजूद था। मृत्यु का समय पोस्टमार्टम करने से लगभग एक दिन पूर्व होना संभव था। मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं होने के कारण विसरा सुरक्षित रखा गया। पोस्टमार्टम से पूर्व पंचनामा व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। पंचायतनामा के संलग्नक में प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं थी। हाइड बोन टूटी नहीं थी। कण्ठ नली टूटी नहीं थी। गर्भस्थ शिशु का पोस्टमार्टम नहीं किया गया और विसरा भी नहीं सुरक्षित रखा गया। **विवेचक श्री सुभाषचन्द्र शाक्य पी०डब्लू० 6** द्वारा दिनांक 16-05-12 को प्रस्तुत मामले की विवेचना ग्रहण की गयी थी। प्रथम पर्चा प्रभारी रघुवर राम गौतम द्वारा लिखा गया। दिनांक 21-05-12 को पर्चा नं० 4 लिखा गया। जिसमें वादी दिनेश का बयान अंकित किया गया तथा धारा 316 व 201 की वृद्धि की गयी थी। पंचनामा करने वाले उपनिरीक्षक मौ० आबिद का बयान अंकित किया गया। मुनीम, मुकेश, मुनीश आदि के बयान भी अंकित किये गये। दिनांक 09-06-12 को गवाह एहवेश कुमार, मृतका की माँ श्रीमती स्नेहलता, पण्डित श्री उमाशंकर, गवाह नाई श्री कृष्णकान्त, गवाह मृतका की चाची श्रीमती कौशल, पी०एम० कराने वाले गवाह डा० आर०ए० शर्मा के बयान अंकित

किये गये। उल्लेखनीय है कि शव बरामदगी के दिन अर्थात् 14-05-12 को मृतका के पिता पी०डब्लू० 3 लगभग दो बजे आ गये, किन्तु उनका बयान लगभग 23-24 दिन के पश्चात विवेचक द्वारा अंकित किया गया। विवेचक द्वारा नेत्रपाल, प्रदीप, आशाराम, ओमकार, तारा सिंह, मनोज कुमार, यशवीर सिंह, विजेन्द्र सिंह, मुंसिफ मुंशी निरंजन सिंह आदि के बयान अंकित किये गये। लेकिन किसी भी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरेशचन्द्र, अनिल कुमार, प्रमोद, फिरोजशाह, अनुपम यादव, उमेशचन्द्र सक्सेना, डा० श्रीकान्त अग्रवाल के बयान अंकित किये गये हैं। उन्हें भी साक्षी के रूप में न्यायालय में परीक्षित नहीं किया गया है। विवेचक के अनुसार 10 लाख रुपये शादी में खर्च होने बाबत कोई भी साक्ष्य नहीं आया है। मांग के अतिरिक्त उत्पीड़न के तथ्य विवेचक को नहीं बताया गया है। सामाजिक पंचायत का कोई बात किसी साक्षी द्वारा नहीं बतायी गयी है। पी०डब्लू० 6 ने कहा कि आरोप पत्र प्रेषित करने के तक विसरा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अग्रेतर साक्ष्य में आया है कि मृतका का शव उसकी ससुराल में नहीं मिला था। जबकि ग्राम दिखतौली में मिला था। उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। विवेचक ने मृतका के शव बरामद होने वाले ग्राम के प्रधान का भी बयान अंकित नहीं किया है। विवेचक के अनुसार ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जिसने उसके द्वारा लाते-जाते या भागते देखा हो। पंचायतनामा करने वाले साक्षियों ने स्वीकार किया है कि पंचायतनामा के साथ मु०अ०सं० 83/12 की चिक रिपोर्ट की नकल संलग्न नहीं थी। प्रथम विवेचक रघुवरराम गौतम के साक्ष्य में आया है कि दिनांक 14-05-12 को समय 13.45 बजे वादी रिपोर्ट लिखाने आया था। उसने लाश मिलने वाली बात थाने पर नहीं बतायी थी। इस बात को क्यों छिपाया था इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर बताता तो धारा 304B में मुकदमा कायम होता। अभियुक्तगण पर यह भी आरोप है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में मृतका को आत्म हत्या करने के लिए विवश किया तथा जहर का सेवन कराया। मृतका की हत्या करने का भी आरोप अभियुक्तगण पर है। साक्ष्य विलोपन करने के उद्देश्य से अभियुक्तगण ने लाश छिपायी। अभियोजन साक्ष्यों से यह बात स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु मायके में रहने की अवधि में हुई है। मृत्यु के चार माह पूर्व से मृतका मायके में आ गयी थी। अभियोजन यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है कि अभियुक्त दुष्यन्त मृतका वन्दना को इलाज के बहाने लेने के लिए उसके मायके गया। किसी भी व्यक्ति ने मृतका वन्दना को अभियुक्त दुष्यन्त द्वारा ले जाते हुए नहीं देखा। मृतका की चाची ने अवश्य कहा कि दुष्यन्त 13-05-12 को आया था, किन्तु इस

तथ्य की पुष्टि के लिए आस-पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को परीक्षित नहीं कराया गया है। जहाँ तक मृतका के आत्म हत्या करने का प्रश्न है तो ऐसा कोई केस अभियोजन पक्ष का नहीं है और ऐसा ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बात अंकित है कि मृतका ने विष खाकर आत्म हत्या की हो। प्रसाद में विष खिलाने का आरोप लगाया गया है, किन्तु अभियोजन यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है कि कथित रूप से अभियुक्त दुष्यन्त ने विष कहां से प्राप्त किया और प्रसाद कहां से लिया गया। विष ग्रहण किये जाने कि दशा में किसी भी अमुक व्यक्ति की मृत्यु तत्क्षण नहीं हो सकती। उसके प्रभावी होने में समय लगता है। मृतका की लाश को छिपाते हुए किसी व्यक्ति द्वार नहीं देखा गया है। इसके अतिरिक्त गर्भस्थ शिशु को मारने का तथ्य स्वयं में निराधार साबित हो जाता है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा हो कि गर्भावस्था में अभियुक्त दुष्यन्त उसे इलाज के बहान ले गया हो। मायके में रहने के दौरान अथवा ससुराल में रहने के दौरान उपचार सम्बन्धी कोई प्रपत्र अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षियों द्वारा यह अवश्य कहा गया है कि उसका उपचार मायके में कराया गया, किन्तु किसी प्रपत्र से यह सिद्ध नहीं है कि उसका उपचार कराया गया हो। अस्तु अभियुक्त दुष्यन्त द्वारा मृतका को इलाज के लिए ले जाने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं है। मृतका वन्दना की शादी के पूर्व एक ननद का विवाह सम्पन्न हो चुका था और अंतिम बार मायके आने से पूर्व एक ननद की शादी हो चुकी है। देवर एवं ननद शादी के समय और मृत्यु के पूर्व तक अवयस्क थे। उनके द्वारा अथवा अभियुक्त दुष्यन्त के बहनोई द्वारा दहेज मांगने अथवा दहेज की बाबत प्रताड़ित करने का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि मृत्यु के पूर्व तक मृतका को दहेज से सम्बन्धित प्रताड़ना दी गयी अथवा तंग किया गया। यद्यपि की मृत्यु के चार माह पूर्व से मृतका के मायके में रहने का कथन किया किन्तु उसकी कोई सटीक तिथि नहीं है कि किस तिथि को मृतका अपने मायके में आई। साक्ष्यों से यह भी इंगित होता है कि मृतका मायके से ससुराल और ससुराल से मायके आती-जाती रही। उत्पीड़न के सम्बन्ध में मृतका के अनुसार कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। यदि मृतका के साथ दहेज उत्पीड़न किया जाता तो इस स्थिति में निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यवाही अवश्य की जाती। यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि वादी पी०डब्लू० 1 दिनेश ने अपने तहरीर में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 13-05-12 को जब मृतका 07.30 बजे तक घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश की गयी। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य में यह आया है कि

जिस समय कथित रूप से वन्दना, दुष्यन्त के साथ गयी उस समय वह घर पर नहीं था। साक्ष्यों में यह नहीं आया है कि वह कितने बजे अपने घर पहुंचा और मृतका के अभियुक्त दुष्यन्त के साथ जाने की जानकारी उसे किसके द्वारा दी गयी। पी०डब्लू० 1 ने अपने साक्ष्यों में यह कहीं नहीं कहा कि वह 13-05-12 को घर पर कितने बजे आया और वन्दना के जाने की सूचना किसेक द्वारा दी गयी। पी०डब्लू० 1 के द्वारा वन्दना को भेजे जाने का कथन पूर्णतः असत्य कथन है। पी०डब्लू० 2 श्रीमती कौशल पी०डब्लू० 1 की धर्म पत्नी है। पी०डब्लू० 2 ने भी अपने साक्ष्यों में यह नहीं कहा कि उसने अपने पति पी०डब्लू० 1 को वन्दना को दुष्यन्त के साथ जाने की तथ्यो को बताया अथवा नहीं। यहाँ पर यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि वन्दना की माँ बतौर साक्षी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। पी०डब्लू० 2 ने अपने साक्ष्यों में कहा कि मेरे पति उससमय घर पर नहीं थे, नहीं पता कि वह उस समय कहां थे। प्रथम बार पी०डब्लू० 2 ने कहा कि शाम 05.00 बजे पति से मुलाकात होने पर उनको बताया गया कि 12-01 बजे दुष्यन्त आया था। पी०डब्लू० 1 दिनेश यादव ने अपनी तहरीर में यह कहीं नहीं लिखा कि वह 05.00 बजे घर पहुँचा और पी०डब्लू० 2 ने उसे बताया है कि दिनांक 13-05-12 को 12.01 बजे दुष्यन्त आया था। इस प्रकार पी०डब्लू० 2 श्रीमती कौशल के सामने अभियुक्त दुष्यन्त द्वारा मृतका को ले जाने का तथ्य किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं है।

वादी पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव ने अपनी तहरीर प्रदर्शक-1 में प्रथम बार अभियुक्तगण के संदर्भ में यह आरोप लगाया कि अभियुक्तगण के द्वारा शादी के उपरान्त मृतका वन्दना को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा था। जिसकी शिकायत पीड़िता मायके में आकर करती थी। विवाह के समय किसी भी प्रकार की दहेज मांगने का साक्ष्य नहीं है और ना ही इस प्रकार का कोई आरोप है। पी०डब्लू० 1 द्वारा यह शपथपूर्वक कहा गया है कि दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में कई बार कथित रूप से पंचायत भी हुई। जिसमें केवल परिवार के सदस्य कथित रूप से सम्मिलित हुए। अंतिम बार जो कथित रूप से पंचायत हुई। उसके बाद भी मृतका 4-5 बार मायके आई-गई। पंचायत के सम्बन्ध में वादी पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव की पत्नी श्रीमती कौशल ने कहा कि कभी कोई पंचायत नहीं हुई और ना ही दहेज के सम्बन्ध में कभी कोई शिकायत हुई। मृतका के पिता पी०डब्लू० 3 एहवेश कुमार ने अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में किसी भी पंचायत आयोजित होने का कोई कथन नहीं किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि मृतका और उसका पति दुष्यन्त तथा अन्य ससुरालीजन के

मध्य सम्बन्ध सामान्य तथा मधुर थे। ननदों की शादी मृतका की मृत्यु के पूर्व हो चुकी थी और वह अपनी ससुराल में जीवन यापन कर रही थी। यदा-कदा ननदे मायके आया-जाया करती थी। मृतका के पिता पी०डब्लू० 3 के साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि प्रथम बार उन्हें शादी के 4-5 महीने बाद जानकारी हुई कि मृतका से दहेज की मांग होती है। उक्त कथित दहेज की माँग के उपरान्त भी मृतका 5-6 साल जीवित रही। उक्त 5 साल की अवधि में दहेज की माँग या प्रताड़ना के सम्बन्ध में कभी कोई शिकायत नहीं की गयी और ना ही कभी रिपोर्ट करने का साक्ष्य है। कथित रूप से अंतिम बार मुलाकात वन्दना से मायके में हुई। मायके में रहने के दौरान मृतका द्वारा अथवा उसके माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कभी कोई शिकायत या रिपोर्ट नहीं की गयी। इसलिए दहेज की माँग किये जाने का आरोप कदापि साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा कभी कोई ऐसा आचरण या व्यवहार नहीं किया गया जिससे मृतका कभी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित हुई हो। अभियुक्तगण का आचरण ऐसी प्रकृति का नहीं रहा जिससे यह निष्कर्ष निकाल जा सके उसे कभी कोई शारीरिक अथवा मानसिक क्षति कारित होने की संभावना बनी हो। अभियोजन यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु के पूर्व उसके साथ दहेज सम्बन्धी कोई क्रूरता की गयी हो। अभियुक्तगण द्वारा न कभी तंग किया गया और न कभी दहेज सम्बन्धी मांग के लिए प्रताड़ित किया गया। मृतका विवाह के सात वर्षों तक जीवित रही। मृतका के चाचा पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव, चाची श्रीमती कौशल और उसके पिता एहवेश कुमार हितबद्ध साक्षी हैं। किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा दहेज सम्बन्धी मांग की प्रताड़ना को सिद्ध नहीं किया गया है। मृतका की मृत्यु मायके अर्थात् ग्राम जेवड़ा में रहने के दौरान हुई है। जेवड़ा में वह मृत्यु के लगभग चार माह पूर्व से निवासरत थी। अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ पिन्कू का दिनांक 13-05-12 को जेवड़ा जाना कदापि सिद्ध नहीं है। मृतका को जेवड़ा से साथ ले जाते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा और अभियोजन के किसी व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है। पंचायतनामा प्रदर्श क-8 में पंचो द्वारा यह राय व्यक्त की गयी थी मृतका के शरीर पर उसके गर्दन में धानी रंग के टुपट्टे से फसरी के निशान था और गला घोटकर मृत्यु कारित करने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं होती है। विसरा रिपोर्ट 153 अ के अवलोकन से विदित होता है कि उसके पेट, आंत, लीवर, किडनी में एल्युमीयम फास्फाइड विष अवश्य पाया गया। यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है कि उसके शरीर में विष पाये जाने का क्या आधार था। मृतका यदि आत्महत्या करने का आशय रखती थी

तो वह यह कार्य अपने मायके व ससुराल में कर सकती थी। मृत्यु के समय वह मायके में निवासरत थी। अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर सका है कि अभियुक्त दुष्यन्त यदि उसे मायके से ले गया अस्तु उसके द्वारा प्रसाद खिलाकर हत्या करने का भी प्रश्न नहीं उठता है। यह निर्विवाद है कि मृत्यु के समय मृतका अपने मायके में निवास कर रही थी। दुष्यन्त उर्फ पिन्कू के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण अपने गाँव सैंदलपुर में था। उनके द्वारा भी विष देकर हत्या करने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वादी पी०डब्लू० 1 दिनेश कुमार यादव ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि दिनांक 14-05-12 को कथित रूप से ग्राम सैंदलपुर मृतका की खोज के सम्बन्ध में गया था। उसी समय डा० अजमेर सिंह, प्रमोद आदि के साथ वापस लौटते समय यह राय बनी कि ससुराल पक्ष के किस-किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाना है और राय मशविरा के उपरान्त तहरीर लिखायी गयी। वादी पी०डब्लू० 1 स्वयं इण्टर तक पढा है, लेकिन उसने स्वयं रिपोर्ट न लिखकर धनंजय नामक व्यक्ति से रिपोर्ट लिखायी जो यह दर्शित करता है कि सम्पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट विचार-विमर्श के उपरान्त लिखायी गयी है। मृतका कि विवाह की तिथि भी अभियोजन नहीं सिद्ध कर सका है। यद्यपि कि पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 3 ने यह कहा कि विवाह के सम्बन्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय किया गया जिनकी रसीदें ली गयी, किन्तु विवेचक को कोई भी रसीद प्रस्तुत नहीं की जा सकी। शादी का कार्ड भी विवेचक को नहीं दिया गया। प्रथम विवेचक पी०डब्लू० 8 रघुवर राम गौतम के साक्ष्य में आया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय अभियुक्त मृतका के शव के बरामद होने के सम्बन्ध में कोई सूचना दी होती तो निश्चित रूप से दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता। मृतका कथित रूप से दिनांक 13-05-12 को अपने मायके से गयी और कथित रूप से दुष्यन्त ले गया। इस सम्बन्ध में थाना पर सूचना देने का साक्ष्य पी०डब्लू० 1 द्वारा दिया गया, किन्तु चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी सूचना थाना मक्खनपुर पर नहीं दी गयी। जबकि कथित रूप से वादी पी०डब्लू० 1 थाना मक्खनपुर क्षेत्र में मृतका की तलाश में आया। वादी पी०डब्लू० 1 ने यह भी कहा कि मृतका को अभियुक्त दुष्यन्त द्वारा ले जाने के बात डा० अजमेर व प्रमोद ने बताया थी, किन्तु इस बात की पुष्टि के लिए उक्त साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं किया गया। वादी पी०डब्लू० 1 की उपस्थिति पंचायतनामा के समय और प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय एक साथ संभव नहीं थी। अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाते समय तक मृतका की लाश बरामद नहीं हुई थी। शव बरामदगी की सूचना थान सिंह नामक व्यक्ति

जो ग्राम प्रधान दिखतौली के द्वारा थाना शिकोहाबाद में दी गयी। थाना शिकोहाबाद में तैनात उपनिरीक्षक आबिद अली द्वारा पंचायतनामा भरा गया, किन्तु शव बरामदगी की सूचना का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। मृतका का शव ग्राम जेवड़ा से कई किलोमीटर दूर नहर के किनारे झाड़ियों में मिला। जहाँ पर कथित रूप से वादी सूचना पाकर गया और यदि शव प्रथम सूचना रिपोर्ट के पूर्व ही बरामद हो चुका था। तब किन परिस्थितियों में दहेज हत्या का मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि मृतका के शव पर कोई बाहरी चोट नहीं थी और ना ही फसरी लगाये जाने का कोई प्रमाण मिला। धारा 113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज हत्या के सम्बन्ध में धारणा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि अभियोजन मृतका की मृत्यु के तुरन्त पूर्व दहेज सम्बन्धी प्रताड़ना के तथ्य को साबित करे, जिसे वह साबित करने में असफल रहा है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक में संदेह के गहरे बादल विद्यमान हैं। अग्रेतर वादी द्वारा अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ पिन्कू सम्पूर्ण पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त दो नन्दोई को भी नामित किया गया जो यह इंगित करता है कि येन-केन-प्रकरण अभियुक्तगण को फंसाये जाने का उपक्रम सम्यक विचार-विमर्श के बाद किया गया। यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि मृतका की माँ को साक्षी के रूप में नहीं परीक्षित किया गया है। पिता एहवेश कुमार को पी०डबल्यू० 3 के रूप में परीक्षित अवश्य किया गया, किन्तु उनके द्वारा मृतका के जीवित रहने तक दहेज प्रताड़ना सम्बन्धी कोई शिकायत किसी भी फोरम पर नहीं की गयी। उनके द्वारा यह भी नहीं कहा गया कि कभी दहेज प्रताड़ना के सम्बन्ध में कभी कोई पंचायत या शिकायत की गयी। वादी, मृतका के पिता व परिवार के अन्य सदस्य अभियुक्तगण के यहाँ सम्पन्न होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक शामिल होते रहें हैं और उन्हें हर कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया है। एक-दूसरे के कार्यक्रम में शामिल होना साबित करता है कि एक-दूसरे से सम्बन्ध सामान्य अथवा मधुर थे। इस कारण भी दहेज मांग सम्बन्धी आरोप मात्र आरोप की श्रेणी में आता है। उपरिवर्णित साक्ष्यों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि मृतका वन्दना अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ पिन्कू के साथ विवाह सम्पन्न होने के उपरान्त अनेकों बार ससुराल से मायके और मायके से ससुराल नियमित रूप से आती-जाती रही है। ससुराल में रहने के दौरान उसने एक शिशु को जन्म दिया था। जिसकी देखभाल ससुराल पक्ष अर्थात् अभियुक्तगण द्वारा ही की गयी। प्रथम शिशु का स्वर्गवास हो गया था। दूसरी बार गर्भवती होने पर वह मायके आ गयी और अपनी चाची श्रीमती कौशल सह यह कहा था कि उसे दूसरा बच्चा

मायके में ही जन्म देना है। जिसपर चाची पी०डब्लू० 2 को कोई आपत्ति नहीं थी। मृतका के मायके वाले यथा उसके चाचा, चाची, पिता पी०डब्लू० 3 एहवेश कुमार व अन्य परिवारीजन अभियुक्तगण के यहाँ सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यक्रमों में सम्मान पूर्वक सम्मिलित होते रहे हैं और उन्हें ससम्मान आमंत्रित भी किया गया। पी०डब्लू० 1 वादी दिनेश कुमार यादव के साक्ष्यों में आया है कि जब भी मृतका की ननदें मिलती थीं उनसे कुशलक्षेम पूछता था। क्योंकि ननदें पुत्रियों के समान थीं। मृतका के पिता एहवेश कुमार यादव ने दहेज सम्बन्धी प्रताड़ना के बाबत न तो कोई पंचायत आयोजित होने का कथन किया और ना ही इस सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी से कोई शिकायत दर्ज करायी गयी, क्योंकि उनके कथनानुसार इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी। अभियोजन पक्ष को यह बात स्वीकार है कि मृतका की मृत्यु मायके ग्राम जेवड़ा के प्रवास के दौरान हुई। मृतका वन्दना की लाश थाना क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम दिखतौली के अन्तर्गत हुई। जहाँ नहर पटरी किनारे उसका शव बरामद किया गया। शव बरामदगी की सूचना ग्राम प्रधान दिखतौली थान सिंह द्वारा दी गयी। यदि कथित प्रताड़ना के कारण मृतका वन्दना द्वारा कोई आत्महत्या किये जाने का कोई उपक्रम किया जाता तो उस स्थिति में वह अपने मायके में ही ऐसा कोई कदम उठा सकती थी। मायके से कई किलोमीटर दूर जाकर उसके द्वारा विष खाकर आत्महत्या करने का कथन पूर्णतः संदेहास्पद है और समझ से परे है। इसके अतिरिक्त यदि अभियुक्तगण द्वारा दहेज प्रताड़ना सम्बन्धी कोई हत्या करने का आशय होता तब मृतका के ससुराल में रहने के दौरान यह उपक्रम किया जा सकता था। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका ने अपने ससुराल अर्थात् अभियुक्तगण के यहाँ रहने के दौरान ऐसा कोई कृत्य किया हो जिससे यह इंगित हो कि उसने अपने जीवन को क्षति पहुंचाने का कोई उपक्रम किया हो। संदिग्ध परिस्थितियों को स्पष्ट और साबित करने का भार वस्तुतः अभियोजन पक्ष पर है कि मृतका वन्दना की मायके में रहने के दौरान घर से की किलोमीटर दूर मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई? अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ पिन्कू के 13-05-12 को मृतका के मायके जेवड़ा जाकर इलाज के बहाने ले जाने का जो कथानक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह इस उद्देश्य से किया गया कि सम्पूर्ण घटनाक्रम में अभियुक्त दुष्यन्त की भूमिका को साबित किया जा सके। मृतका को अंतिम बार अभियुक्त दुष्यन्त के साथ कथित रूप से देखे जाने के बाबत कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, यद्यपि कि डा० अजमेर सिंह व अन्य व्यक्तियों द्वारा यह बात कथित रूप से बतायी गयी थी। प्रस्तुत मामला वस्तुतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, किन्तु

अभियोजन उन परिस्थितियों की प्रत्येक कड़ी को सिद्ध नहीं कर सका है, जिससे न्यायालय का यह समाधान हो कि अभियुक्त दुष्यन्त और उसके अन्य आरोपित परिवारीजन ने ही कथित अपराध किया हो। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से भी मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, अस्तु मौखिक और अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोपों के आवश्यक तत्वों को विश्वसीय एवं आकट्टय साक्ष्य से सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। अभियुक्तगण द्वारा कभी कोई दहेज की मांग नहीं की गयी और ना कोई प्रताड़ना कारित की गयी। उनके द्वारा कोई दहेज हत्या नहीं कारित की गयी और ना ही गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित कि और ना ही साक्ष्य का विलोपन किया गया। अभियोजन धारा 498A, 304B, 306, 201 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को विश्वसनीय एवं आकट्टय साक्ष्यों से सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन कथानक एवं साक्ष्यों में संदेह के बादल विद्यमान है। अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किया जाना युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं है। अभियुक्तगण दुष्यन्त उर्फ पिन्कू, देवेन्द्र कुमार यादव, श्रीमती सुभाषा देवी एवं कु० प्रियंका उर्फ भानु संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण सं० 539/2013, राज्य बनाम दुष्यन्त उर्फ पिन्कू आदि में अभियुक्तगण दुष्यन्त उर्फ पिन्कू, देवेन्द्र कुमार यादव एवं श्रीमती सुभाषा देवी को लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 498A, 304B, 302, 306, 316, 201 भा०द०सं० एवं अभियुक्ता कु० प्रियंका उर्फ भानु संदेह को लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 498A, 304B, 302/34, 306, 316, 201 भा०द०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से उपरोक्त कारणों के आलोक में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण की जमानतें और बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 539/2013
 UPFD010030842013
 राज्य बनाम कुच्यन्त आदि
 मु०अ०सं०-83/2012,
 धारा- 498A, 304B, 316, 201 भा०दं०सं०,
 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
 थाना- मवखनपुर, जिला-फिरोजाबाद

अभियुक्तगण धारा 437A द०प्र०सं० के अनुपालन में न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 13.10.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 13.10.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193